रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—उपखण्ड (1)
PART II—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकृति के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 25th February 1972

G.S.R. 384.—In exercise of the powers conferred by clause (r) of rule 8B of order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 1412 dated the 25th November, 1960.

In the Schedule to the said notification, in the item 4 relating to Gujrat, in sub-item (a) relating to High Court, in Column 2 for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Shri K. G. Vakharia, Central Government Standing Counsel".

This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 28th January, 1972.

[No. F. 36(1)/72-J.]

P. G. GOKHALE, Jt. Secy. and Legal Adviser.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 384—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXV, 8ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 निम्नलिखित और आगे संशोधन एतद्द्वारा करती है:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, गुजरात से संबंधित मद 4 में, उच्च न्यायालय से संबंधित उप-मद (क) के स्तम्भ 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"के० जी० वखारिया,
केन्द्रीय सरकार का स्थायी काउन्सल"

यह अधिसूचना 28 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[स० फा० 36(1)/72-न्या०]

प० गं० गोखले,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार,
भारत सरकार ।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 6th March, 1972

G.S.R. 385.—In pursuance of rule 24 read with clause) of rule 2, of the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, the Central Government in Department of Personnel hereby makes the following regulations to amend Central Secretariat Stenographers Service (Preparation of Common Seniority) Regulations, 1971, namely:—

(1) These regulations may be called the Central tariat Stenographers Service (Preparation of Common Seniority Lists) (Amendment) Regulations, 1972.

ey shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

the Central Secretariat Stenographers Service ration of Common Seniority Lists) Regulations, regulation 4, the following regulation shall be ed, namely:—

Power to relax.—Where the Central Government is of the opinon that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts:

ded that, in relation to posts falling within e purview of the Commission, no order in spect of a class or category of persons or osts shall be made except after consultation ith the Commission."

[No. 10/2/72-CS. II.]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च, 1972

सा० का० नि० 385.—केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 2 के खण्ड (जज) के साथ पठित नियम 24 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार का कार्मिक विभाग केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (मिलीजुली वरिष्ठता सूची तैयार करना) विनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग सूचियां तैयार करना) (संशोधन) कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (मिली जुली वरिष्ठता सूचियां तैयार करना) विनियम, 1971 में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"4. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या पदों को इन विनियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकती है ।

यह भी व्यवस्था की जाती है कि आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पदों के संबंध में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों या पदों के संबंध में आयोग के परामर्श के बिना कोई आदेश नहीं बनाए जाएंगे ।"

[सं० 10/2/72-कें० से० II]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव ।

(Department of Personnel)

New Delhi, the 16th March 1972

G.S.R. 386.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules shall be called the Indian Administrative Service (Probation) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, in rule 9,—

(i) the words "or exempt him from appearing in such subject or subjects," shall be omitted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided also that the Central Government may exempt a probationer, appointed to the service on the results of the competitive examination held in 1970 or earlier, from re-appearing in the subject or subjects in which he failed to obtain the prescribed minimum number of marks in the final examination".

[No. 29/6/70-AIS(III)-A.]

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च 1972

सा० सा० नि० 386.—अखिल भारतीय सेवाएं अधि-नियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, भारतीय प्रशासन सेवा

(परिवीक्षा) नियम, 1954 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) नियम 1954 में नियम 9 में—

(i) "अथवा ऐसे विषय अथवा विषयों में परीक्षा देने से छूट दे सकती है" शब्द हटा दिया जायेंगे;

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"यह भी उपबन्ध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को, जो 1970 में अथवा उससे पहले ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में नियुक्त किया गया हो, किसी विषय अथवा विषयों में, जिन में अन्तिम परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न कर सका, हो, पुनः परीक्षा देने से छट दे सकती है ।"

[स० 29/6/70-अ०भा०से० (3)]

G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules shall be called the Indian Police Service (Probation) Amendment Rules 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, in rule 9.—

(i) the words "or exempt him from appearing in such subject or subjects," shall be omitted.

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the Central Government may exempt a probationer, appointed to the service on the results of the competitive examination held in 1970 or earlier, from reappearing in the subject or subjects in which he failed to obtain the prescribed minimum number of marks in the final examination."

[No. 29/6/70-AIS(III)-B.]

सा० सा० नि० 387.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में नियम 9 में—

(i) "अथवा ऐसे विषय अथवा विषयों में परीक्षा देने से छूट दे सकती है" शब्द हटा दिया जायेंगे;

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"यह और उपबन्ध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को, जो 1970 में अथवा उससे पहले ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में नियुक्त किया गया हो, किसी विषय अथवा विषयों में, जिन में अन्तिम परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न कर सका हो, पुनः परीक्षा देने से छूट दे सकती है ।

[स० 29/6/70-अ०भा०से० (iii)-ख]

G.S.R. 388.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 7 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1955, in regulation 6, the words "with the previous approval of the Central Government" shall be inserted at the end.

[No. 29/6/70-AIS(III)-C.]

सा० का० नि० 388.—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम 1954 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1955 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1969 में विनियम 5 के अन्त में तथा विनियम 6 की पहली कंडिका में "तय किये जायें" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार के गत अनुमोदन से तय किये जायें" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 29/6/70-अ०भा०से० (3)-ब]

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 7 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1969, namely:—

1. (1) These regulations shall be called the Indian Police Service (Probations' Final Examination) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Probations' Final Examination) Regulations, 1969, at the end of regulation 5 and in the opening paragraph of regulation 6, for the words "may determine", the words "may determine with the previous approval of the Central Government" shall be substituted.

[No. 29/6/70-AIS(III)-D.]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

सा० का० नि० 389.—भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अंतिम परीक्षा) विनियम 1955 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1955 में विनियम 5 में "केन्द्रीय सरकार के गत अनुमोदन से" शब्द बीच में जोड़े जायेंगे ।

[सं० 29/6/70-अ०भा०से० (3)]

एम० आर० भारद्वाज,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

(Department of Personnel)

New Delhi, the 16th March 1972

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Amendment, Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958, after explanation (1) below rule 26, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation* (1A).—"Commercial employment" also include the setting up of practice, either independently or as a partner of a firm, as advisor or consultant in matters in respect of which a retired Government servant—

(i) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(ii) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(iii) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Government."

[No. 11/1/70-AIS(II)

B. NARASIMHAN, Under S

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1972

जी० एस० आर० 390.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में नियम 26 के नीचे व्याख्या (i) के पश्चात् निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"व्याख्या (1-क)—"वाणिज्यिक नियोजन" में ऐसे मामलों में साहूकार अथवा परामर्शदाता के रूप व्यवसाय की स्थापना शामिल है, चाहे वह स्वतंत्र रूप में अथवा किसी फर्म के साझीदार के रूप में हो, जिनके सम्बन्ध में सेवा निवृत्त अधिकारी

(i) कोई व्यवसायिक अर्हता न रखता है और ऐसे मामले, जिनके सम्बन्ध में व्यवसाय की स्थापना की जानी है अथवा व्यवसाय किया जा रहा है, उसके सरकारी ज्ञान अथवा अनुभव से संबंधित हो,

(ii) व्यवसायिक अर्हता रखता हो परन्तु जिन मामलों के संबंध में ऐसे व्यवसाय की स्थापना की जानी है व इस प्रकार के हैं जिनसे उसके ग्राहकों को उसके विगत सरकारी पद के कारण अनुचित लाभ मिलने की संभावना हो, अथवा

(iii) को ऐसा कार्य करना पड़ जिसमें सरकारी कार्यालयों अथवा अधिकारियों के साथ सम्पर्क अथवा मेलजोल अन्तर्ग्रस्त हो" ।

[सं० 11/1/70-अ०भा०से० (II)]

बी० नरसिंहन,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

(Department of Personnel)

New Delhi, the 10th March 1972

G.S.R. 391.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following, rules regulating the method of recruitment to Class I and Class II posts in the Directorate of Enforcement, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Class I and II posts Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Scheduled hereto annexed.

3. **Number of posts, Classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Investigating Officer	2	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1100—50/2—1250+S. P. of Rs. 75/- per mensum.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Inspecting Officer (Appraising)	1	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1100—50/2—1250+S. P. equal to 25 % of Grade pay subject to a minimum of Rs. 100/- per mensum and a maximum of Rs. 200/-per mensum.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3. Inspecting Officer (Examining)	1	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1100—50/2—1250+S. P. equal to 25 % of Grade pay subject to a minimum of Rs. 100/-per mensum and a maximum of Rs. 200/-per mensum	Not applicable	Not applicable	Not applicable
4. Inspector (Customs)	1	General Central Service Class II (Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800+S. P. equal to 25% of grade pay subject to a minimum of Rs. 100/-per mensum and a maximum of Rs. 200/-per mensum	Not applicable	Not applicable	Not applicable

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades/from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D. P. C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	*Transfer on deputation* Time scale officers of the Indian Income tax Service Class I or Indian Customs and Central Excise Service, Class I failing which Income Tax Officers, Class II/Appraisers, Customs House, with 5 years service in the grade. (Period of deputation-ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicabe	Not applicable	By transfer on deputation	Do.	Do.	Do.
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Do.	Do.	Do.
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	*Transfer on deputation* : Preventive Officer. Grade I (Selection Grade) with 5 years service in the grade failing which Preventive Officer, Grade I with 10 years service in the grade. (Period of deputation-ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Do

[No. F. 275/17 (i)/70-AVD-IV]

P. B. RAJAGOPALAN,
Dy. Secy.

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1972

सा० का० नि०. 391.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय में वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) वर्ग 1 और 2 पद भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना :**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उस के लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हक शिक्षा और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. अन्वेषक अधिकारी	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित)	400–400–450–30–510–द०रो०–700–40–1100–50/–2–1250 रु० + 75 रु० प्रति मास विशेष वेतन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. निरीक्षक अधिकारी (आंकना)	एक	–यथोक्त–	400–400–450–30–510–द०रो०–700–40–1100–50–/ 2–1250 रु० + श्रेणी-वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर विशेष वेतन जो कम से कम 100 रु० प्रतिमास और अधिक से अधिक 200 रु० प्रतिमास के अधीन होगा।	—यथोक्त	–यथोक्त–	–यथोक्त–
3. निरीक्षक अधिकारी (परीक्षा)	एक	–यथोक्त–	–यथोक्त–	–यथोक्त–	–यथोक्त–	–यथोक्त–
4. निरीक्षक (सीमा-शुल्क)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2, (राजपत्रित) अननुसचिवीय	350–25–500–30–590–द०रो०–30–800 रु० + श्रेणी वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर विशेष वेतन जो कम से कम 100 रु० प्रति मास और अधिक से अधिक 200 रु० प्रतिमास के अधीन होगा।	–यथोक्त–	–यथोक्त–	–यथोक्त–

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भारतीय आयकर सेवा, वर्ग 1 या भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा, वर्ग 1 के काल-वेतनमान अधिकारी जिसके न हो सकने पर आयकर अधिकारी, वर्ग 2 अंकक, सीमाशुल्क-गृह, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन तथा अपेक्षित।
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण निवारक अधिकारी, श्रेणी 1 (चयन श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर निवारक अधिकारी, श्रेणी 1 जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि-सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी)।		

[सं० फा० 275/17(i)/70-ए०वी०डी०(4)]

पी० वी० राजगोपालन, उप सचिव।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(Company Law Board)

New Delhi, the 18th February 1972

G.S.R. 392.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, Department of Company Affairs and Insurance, Notification No. G.S.R. 72 dated the 1st January, 1966 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of The Goalundo Ice Company Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") being a foreign Company, the requirement of Clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a Foreign Company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 in respect of the financial year ended on the 31st March, 1971, the Company submits to the appropriate Registrar of Companies in India in triplicate the World accounts and the documents under section 594(1) of the Companies Act, 1956 as soon as these are available.

[No. F. 14(2)/CLVI/72.]

By Order of the Company Law Board.

S. S. SINGH, Under Secy

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1971

सा०का०नि० 392.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय कम्पनी कार्य और बीमा विभाग की अधिसूचना सा० का० नि० 72 तारीख 1 जनवरी, 1966 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन) की अधिसूचना का नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना कहा गया है') को आंशिक रूप से उपान्तरित करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि गोवालन्डे आईस कम्पनी लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के विदेशी कम्पनी होने के कारण अधिसूचना द्वारा विदेशी कम्पनी को लागू होने में यथा उपान्तरित उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं और आगे निम्नलिखित अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होगी, अर्थात:—

यदि 31 मार्च, 1971 की वित्तीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, यथा शीघ्र उपलब्ध होने पर निम्न लेखा व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 594(1) के अन्तर्गत अभिलेखों की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा।

[सं० फा 14 (2)-सी० एल० 6/72]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

एस० एस० सिंह, अवर सचिव।

New Delhi, the 14th March 1972

G.S.R. 393.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Company Affairs (Research Officer) Recruitment Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 1862, dated the 1st November, 1971, namely:—

1. (i) These rules may be called the Department of Company Affairs (Research Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Company Affairs (Research Officer) Recruitment Rules, 1971, in column 8, for the words "Not applicable", the word "No" shall be substituted

[No. A. 12018/3/70-Admn. I.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

सा० का० नि० 393:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1862, तारीख 1 नवम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित कम्पनी कार्य विभाग (अनुसन्धान अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्य विभाग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. कम्पनी कार्य विभाग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, स्तम्भ 8 में, "लागू नहीं होता" शब्दों के स्थान पर "नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० ए-12018/3/70-प्रशा०]

(का० म० शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार।

DEPARTMENT OF PARLIAMENT AFFAIRS

New Delhi, the 3rd March 1972

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963 namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for clause (9), the following clause shall be substituted, namely:—

"(9) vacancies in the Grade of Staff Car Driver shall be filled—

(i) by transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars from amongst regular Scooter Drivers (Class III) and Class IV employees of the Department, possessing qualifications specified against the post of Staff Car Driver, in column 3 of Schedule III;

(ii) failing (i), by deputation or transfer of persons holding the post of Staff car drivers in other Ministries or Departments (period of deputation ordinarily not exceeding two years),

(iii) failing (i) and (ii), by direct recruitment".

3. In Schedule III of the said rules, against serial No. 6 relating to the post of Staff car Driver,—

(i) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Essential*—Possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least five years".

Desirable:—A pass in the 8th Standard":

(ii) in column 4, for the figures "18—25", the figures "23—30" shall be substituted."

[No. F.2(22)/71-Admn.]

S. K. CHOWDHURIE, Under Secy.

संसदीय कार्य विभाग

नई दिल्ली, 3 मार्च 1972.

सा०का०नि० 394:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संसदीय कार्य विभाग (भर्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1963 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 4 में खंड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(9) स्टाफ कार ड्राइवर की श्रेणी में रिक्तियां निम्न प्रकार भरी जायेंगी :—

(i) स्टाफ कार ड्राइवरों में आवश्यक समझे गए क्षमता-स्तरों के प्रति निदेश से इस पद के लिए उपयुक्तता विनिर्णीत करने के उद्देश्य से की गई चालन संबंधी परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस विभाग के ऐसे नियमित स्कूटर ड्राइवरों, (वर्ग 3) और वर्ग 4 कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा, जिनके पास अनुसूची 3 के स्तंभ 3 में स्टाफ कार ड्राइवर के पद के सामने विनिर्दिष्ट अर्हतायें हों ;

(ii) उक्त (i) के न हो सकने पर, ऐसे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा जो अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार ड्राइवरों के पद धारण किए हुए हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : दो वर्ष से अधिक न होगी);

(iii) उक्त (i) और (ii) के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 3 में, स्टाफ कार ड्राइवर के पद से संबंधित क्रम सं० 6 के सामने—

(i) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

आवश्यक : उसके पास मोटर कारों के लिए कोई विधिमान्य चालन-अनुज्ञप्ति, मोटर यांत्रिकत्व का ज्ञान और मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय : आठवां स्टैण्डर्ड उतीर्ण"

(ii) स्तंभ 4 में, "18—25" अंकों के स्थान पर, "23—30" अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० फा० 2(22)/71—प्रशासन]

श्यामल कुमार चौधरी, अवर सचिव।

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 6th March, 1972

G. S. R. 395.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement** : (1) These rules may be called the Central Public Works Department Subordinate Offices) Sound Staff Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** : These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay** : The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** : The method of recruitment, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule :

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications**:—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** : Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection/or non-Selection post.
1	2	3	4	5
1. Technical Operator	4	General Central Service, Class—III Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 210-10-290-15-EB-320-15-425-EB-15-470.	Non-Selection

Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
20—28 years	*Qualifications*: Essential: (i) Diploma in Radio or Tele-Communications or Electrical Engineering recognised by the Government of India OR— (ii) Degree with physics as one of the subject from a recognised University OR— (iii) Degree in Electrical Engineering from a recognised University or an equivalent degree. *Desirable* : Knowledge of Wireless or Radio Engineering.	No

Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation transfer grades from which its promotion/deputation transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
2 years.	50% by direct recruitment 50% by promotion.	Permanent or quasipermanent Radio Mechanic-cum-Operators with at least 5 years experience in the grade subject to qualifying in the Departmental test.	Class III DPC	Not applicable.

1	2	3	4	5
2. Radio Mechanic—Cum-Operator	6	Do.	Rs. 150-5-160-8-240-EB- 8-280-10-300.	Do.

Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
20—25 years	*Qualifications* : Matric and holder of Diploma from a recognised Technical Institute in Radio Engineering. Must possess an experience of Radio equipment for two years in a firm or office handling Radio Equipment.	No.

Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation transfer grades from which its promotion/deputation transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
2 years	50% by direct recruitment 50% by promotion.	Assistant Radio Mechanic - cum-operator who must have put in at least 5 years service in the grade subject to his qualifying in the Departmental test.	Class III DPC.	Do.

1	2	3	4	5	7
3. Assistant Radio—Mechanic-Cum-Operator.	8	Do.	Rs. 130-5-175-EB-6-205	Not applicable.	

6	7	8
18—25 years	*Qualifications* : A certificate of competency or a diploma from recognised Institution for wireman Mechanic or Electrician or Fitter Mechanic with atleast two years experience in a reputable workshop in one of the following :— (1) Lathe Work (2) Carpentary (3) Electric Wiring soldering (4) Fitting and plumbing (5) Internal Combustion-Engine. (6) Air Conditioning Plants. OR 5. years skilled working experience in two or more of the following (1) Lathe Work (2) Carpentary (3) Electrical Wiring soldering. (4) Fitting and plumbing (5) Air conditioning Plants.	No

9	10	11	12	13
2 years	100%	Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Do.

[No. 33/5/70-MS II.]

S. N. BANERJI, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

जी० एस० आर० 395.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) ध्वनि कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति आयुसीमा और अन्य अर्हताएं**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. तकनीकी प्रचालक	चार	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	210–10–290–15–द० रो० –320–15–425–द० रो० 15–470 द०	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो
6	7	8	9
20–28 वर्ष	अर्हताएं : आवश्यक—(i) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेडियो या दूर संचार या विद्युत इंजीनियरी का डिप्लोमा या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जिसके विषयों में भौतिक विज्ञान है एक विषय के रुप में आ रहा हो, या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी की उपाधी या कोई समतुल्य उपाधि । वांछनीयः—बेतार या रेडियो इंजीनियरों का ज्ञान ।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे स्थायी या स्थायीवत रेडियो मैकेनिक एवं प्रचालक जिन्हें उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो जो विभागीय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन होंगे ।	वर्ग-3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
2. रेडियो मैकेनिक एवं प्रचालक	छह	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	150–5–160–8–240–द० रो०–8– 280–10–300 रु०	अचमद

6	7	8	9
20–25 वर्ष	अर्हताएं : मैट्रिक और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से रेडियो इंजीनियरी का डिप्लोमा हो। उसे रेडियो उपस्कर सम्भालने वाले किसी फर्म या कार्यालय में रेडियो उपस्करण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए	नहीं	दो वर्ष

10	11	12	13
पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	ऐसे सहायक रेडियो मैकेनिक एवं प्रचालक जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो जो विभागीय परीक्षण अर्हता प्राप्त करने के अधीन होंगे ।	वर्ग-3 विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
3. सहायक रेडियो मैकेनिक एवं प्रचालक	आठ	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	130–5–175–द० रो०–6–205 रु०	लागू नहीं होता

6	7	8	9
18–25 वर्ष	अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वायरमैन मैकेनिक या इलैक्ट्रीशियन या [फिटर मैकेनिक का क्षमता प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, किसी [ख्यातिप्राप्त वर्कशाप में निम्नलिखित में से किसी एक में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो— (1) खराद कार्य (2) बढ़ईगीरी (3) विद्युत तार झलाई (4) फिटिंग और प्लम्बरी (5) अन्तर्दहन इंजन (6) वातानुकूलन संयंत्र या निम्नलिखित में से दो या अधिक में कुशल कार्यकरण का पांच वर्ष का अनुभव— (1) खराद कार्य (2) बढ़ईगीरी (3) विद्युत तार झलाई (4) फिटिंग और प्लम्बरी (5) वातानुकूलन संयंत्र	नहीं	दो वर्ष

10	11	12	13
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

[सं० 33/5/70-एमएस-2]

एस० एन० बनर्जी, उप सचिव ।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
(Posts & Telegraphs Board)

New Delhi, the 14th March 1972

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Posts and Telegraphs Department (Compounders Recruitment) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These Rule may be called the Posts and Telegraphs Department (Compounders Recruitment) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Posts and Telegraphs Department (Compounders Recruitment) Rules, 1959 after rule 3, the following rules shall be inserted, namely:—

"4. *Disqualifications.*—No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons".

[No. 63-7/71-NCC.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director General (STN).

संचार मंत्रालय

डाक तार बोर्ड

नई दिल्ली 14 मार्च 1972

सा०का०नि० 396.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डाक-तार विभाग (कम्पौण्डरों की भर्ती) नियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक तार (कम्पौण्डरों की भर्ती) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. डाक तार विभाग (कम्पौण्डरों की भर्ती, नियम, 1959 के नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ दिये जाएं, अर्थात् :—

"4. **योग्यताएं** :—कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसका/कि पहले से ही पति/पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी, अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसा करने का करार किया हो,

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

किन्तु केन्द्र सरकार इस बात की सन्तुष्टि पर कि वह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है तथा छूट देने के अन्य आधार हैं तो इस नियम के लागू होने से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने की शक्ति** :—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह सम्बद्ध कारणों को लिखित रूप में दिखा कर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है ।"

[संख्या 63/7/71—एन०सी०जी०]

के०वी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस० टी० एन०)।

(Department of Supply)

New Delhi, the 18th February 1972

G.S.R. 397.—In pursuance of rule 11 of the Indian Supply Service (Class I) Rules, 1961, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following rules further to amend the Indian Supply Service (Class I-Recruitment by Competitive Examination) Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Supply Service (Class I-Recruitment by Competitive Examination) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Supply Service (Class I-Recruitment by Competitive Examination) Rules, 1963,—

(a) in rule 4,—

(i) in condition (i), relating to "Nationality", for the proviso and the sub-paragraphs thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.";

(ii) in condition (ii), relating to "Age limit," for Note 3 and Note 4, the following Notes shall be substituted, namely:—

"NOTE 3.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession: mentioned in clouses (b) or (c) above shall be cancelled if, after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 4.—A candidate who, after submitting his application to his department, is transferred to other department/ office, will be eligible to compete under departmental age concession for the service for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application has been forwarded by his parent department.";

(b) in rule 7, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that candidates belongi to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/ posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.".

[No. 35/9/61-ESI.]
S. S. KSHETRY, Under Secy

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

जी०एस०आर० 397.—भारतीय पूर्ति सेवा (श्रेणी–1) नियम, 1961 के नियम 11 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद भारतीय पूर्ति सेवा (श्रेणी–1–प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय पूर्ति-सेवा (श्रेणी–1–प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. भारतीय पूर्ति सेवा (श्रेणी–1–प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) नियम 1963 में—

(क) नियम 4 में—

(i) "राष्ट्रिकता" से सम्बन्धित शर्त (i) में परन्तुक और उसके उप पैरों के लिए निम्नलिलखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"शर्त यह है कि वर्ग (ग), (घ), (ङ) और (च) से सम्बन्धित उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके लिए पात्रता का प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो ।

कोई भी उम्मीदवार जिसके लिए पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, उसे उस शर्त पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, और उसे अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिया जा रहा है ।";

(ii) आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त (ii) में टिप्पणी 3 और टिप्पणी 4 के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पणी 3—किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी को, जिसे खण्ड (ख) या (ग) में उल्लिखित आयु में छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट किया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा, यदि वह अपना आवेदन-पत्र देने के पश्चात् परीक्षा देने से पूर्व या बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देता है अथवा उसकी सेवाएं उसके विभाग/कार्यालय द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं । परन्तु, यदि आवेदन-पत्र देने के पश्चात् उसकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

टिप्पणी 4—कोई उम्मीदवार, जिसका अपने विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी अन्य विभाग।कार्यालय में स्थानान्तरण हो जाता है, उक्त सेवा के लिए विभागीय आयु छूट के अन्तर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा, जिसके लिए वह उस स्थिति में पात्र हुआ होता यदि उसका स्थानान्तरण न हुआ होता, बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया हो ।

(ख) नियम 7 के, उप नियम (1) में, परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए उस सीमा तक जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को सामान्य स्तर के आधार पर न भरा जा सकता हो, आरक्षित कोटे की इस कमी को पूरा करने के लिए स्तर को शिथिल करके आयोग द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की जा सकती है,

पर शर्त यह है कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं और पदों पर, परीक्षा में प्राप्त योग्यता और क्रम का विचार किए बिना, नियुक्ति के योग्य हों ।

[सं० 35/9/61-स्थापना-1]

शिव शंकर खत्री, अवर सचिव,

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Posts & Telegraphs Board)

New Delhi, the 14th February 1972

G.S.R. 398.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, after rule 519, the following rule shall be inserted, namely:—

"519-A. (1) No rebate or refund shall be admissible to a subscriber by reason of breakdown, disrepair, interruption, disturbance, stoppage of communication or of any other cause whatsoever.

(2) The telegraph authority shall endeavour to repair and restore the communication and the subscriber shall render all reasonable assistance in doing so.

[No. 43-1/71-TI.]

G. H. WILLIAMS,
Controller of Telegraph Traffic.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 मार्च 1972

सा०का०नि० 398.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के खण्ड 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1951 के भारतीय तार नियमों में आगे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसका नाम इस प्रकार होगा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (————— संशोधन) नियम, 1972 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में नियम 519 के बाद निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जाएगा, जिसका नाम इस प्रकार होगा :—

519-क(1) कोई भी उपभोक्ता काम का सिलसिला टूटने, मरम्मत, अवरोध, गड़बड़ी, संचार के बन्द होने अथवा अन्य कोई कारण , जो भी हो, की वजह से किसी भी प्रकार की घटौती या धन-वापसी के लिए ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) तार प्राधिकारी मरम्मत करने तथा संचार की पुर्नस्थापना का प्रयास करेंगे तथा ऐसा करते समय उपभोक्ता भी सभी प्रकार की उचित सहायता करेगा" ।

[सं० 43-1/71-टी-1]

(जी० एच० विलियम्स,
तार परियात नियंत्रक ।

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

New Delhi, the 14th March 1972

G.S.R. 399.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960 namely:—

1. (1) These rules may be called the Official Concession (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in schedule I, for Form C, the following form shall be substituted namely:—

FORM C

Income Tax Clearance Certificate [*See* rules 9(2)(b), 14(1)(vi), 22(3)(i)(b), 37(2), 42(1)(b) and 46(1).]

1. Name and style of the company, firm, HUF or Individual in which the applicants assessed or assessable to Income-tax and address for the purpose of assessment .....

2. Name and address of all companies, firms or association of persons in which the applicant is substantially interested in his individual or fiduciary capacity.

NOTE.—For the purpose of clause (2) above the words "substantially interested" would have the same meaning as in explanation to section 40A(2) of the Income Tax Act, 1961.

3. The Income Tax Circle/Ward/District in which the applicant is assessed to income-tax and the G.I.R. No.

4. The following particulars are to be furnished concerning the income tax assessments for the preceeding five years.

Year	Total income assessed	Tax demanded	tax paid	Balance due
1	2	3	4	5

5. The total contract amount received by the applicant whose name is mentioned against (1) above during the proceeding five accounting years (give date of the closing day of the previous year) being previous years of.

NOTE.—1. Tax in columns 3 and 4 of clause 4 include all items *viz.* IT S.T., Surcharge, E.P.T. and B.P.T.

2. If any tax remains unpaid the reasons should be explained in an attached statement.

6. In case there has been no I.T. assessment for any year, whether returns have been submitted under the section 139(1) and 139(2) and 133 of Income Tax Act, 1961 or tax has been paid in advance under section 210(3) of income-tax Act, 1951 and if so, the amount of income returned for each year and tax for each of the four years mentioned above and Income Tax Circle/ Ward/District concerned where such returns have been filed, give reasons for the same.

7. Whether any attachment or Certificate proceedings is pending in respect of the arrears. The name and address of branch(es) if any.

I declare that the above information is correct and complete to the best of my information and belief.

Signature of the contractor ..... Signature .....
Registration No. .....
Address .....
Date .....

I hereby certify that

A. (i) the assessee has furnished complete information abovt allcompanies in which he is substantially interested and the firms and association of persons in which he is a partner or member respectively.

(ii) the returns of income due from the assessee have been filed.

(iii) the assessee has paid all tax demands due other than those which have been stayed by competent authority.

(iv) the assessee has been cooperating with the Department in facilitating the completion of the pending assessments.

B. (i) There is no information before me that the companies in which the assessee is substantially interested and the firms and association of persons in which he is partner or member respectively are deliberately not filing the returns or not paying the tax demands or not cooperating with the Department in facilitating the completion of the pending assessments.

(ii) There is no information before me that persons having a substantial interest in the applicant company/being members of the applicant association/being partners of the applicant firm are deliberately not filing their returns of income or not paying their tax demands or not cooperating in facilitating the completion of the pending assessments.

This certificate is valid for a year from the date of issue.

Date ..... Signature of I.T.O. .....
Seal ..... Circle/Ward/District .....
.....

[No. F. 1(33)/71-MVI.]

HARSHA GUPTA, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

सा० का० नि० 399.—खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिये, निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, अनुसूची I में, प्ररूप 'ग' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"प्ररूप ग"

[आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र

[नियम 9(2)(ख), 14 (1) (vi), 22(3)(i)(ख), 37(2), 42 (1)(ख) और 46 (1) देखिये)]

1. (कम्पनी, फर्म, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अथवा व्यक्ति का) नाम और अभिनाम, जिसमें आवेदकों पर आयकर निर्धारित किया गया है अथवा वे आय कर के लिये निर्धारणीय हो और निर्धारण के प्रयोजन के लिये पता ....

2. उन सभी कम्पनियों, फर्मों अथवा व्यक्तियों के संगम का नाम और पता जिसमें आवेदक अपनी व्यक्तिगत अथवा वैश्वासिक हैसियत से सारतः हितबद्ध है ।

टिप्पण—उपर्युक्त खण्ड (2) के प्रयोजन के लिये "सारतः हितबद्ध" शब्दों का वही अर्थ होगा जो आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (2) के स्पष्टीकरण में है ।

3. आय कर सर्किल/वार्ड/जिला जिसमें आवेदक पर आय कर निर्धारित किया गया है और जी०आई० आर० संख्या ।

4. पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये आय कर निर्धारण से सम्बन्धित निम्नलिखित विशिष्टियां दी जानी हैं :—

वर्ष	कुल निर्धारित आय	मांगा गया संदत्त कर	शोध्य प्रतिशेष
1	2	3	4	5

5. उस आवेदक द्वारा, जिसका नाम उपर्युक्त (1) के सामने उल्लिखित है, पूर्ववर्ती पांच लेखा वर्षों के दौरान (पूर्वतन वर्ष के अन्तिम दिन की तारीख दीजिये), पूर्वतन वर्ष होने के कारण, प्राप्त कुल संविदा-राशि ।

टिप्पण :—1. खण्ड 4 के स्तम्भ 3 और 4 में कर के अन्तर्गत सभी मदें, अर्थात् आयकर, बिक्री कर, अधिभार, इ० पी० टी० और बी० पी० टी० है ।

2. यदि कोई कर असन्दत्त रहता है तो संलग्न विवरण में उसके लिये कारण स्पष्ट करने चाहिये ।

6. यदि, किसी वर्ष आयकर निर्धारण नहीं किया गया है, तो क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) और 139(2) और 133 के अधीन विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 210 (3) के अधीन कर का अग्रिम रूप से संदाय किया गया है और यदि ऐसा है, तो प्रत्येक वर्ष के लिये विवरणित आय की राशि और उपर-उल्लिखित चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिये कर और सम्बन्धित आयकर सर्किल/वार्ड/जिला, जहां इस प्रकार के विवरण फाइल किये गए है, उनके लिये कारण दीजिये ।

7. क्या बकाये के सम्बन्ध में कोई कुर्की अथवा प्रमाण-पत्र कार्यवाहियां लम्बित है । शाखा (शाखाओं), यदि कोई हो, का नाम और पता ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

संविदाकार के हस्ताक्षर.....हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

पता .....

तारीख .....

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि,

क. (i) निर्धारिती ने उन सभी कम्पनियों के बारे में जिनमें वह सारतः हितबद्ध है, और उन फर्मों तथा व्यक्तियों के संगम के बारे में, जिनमें वह क्रमशः भागीदार अथवा सदस्य है, पूर्ण जानकारी दी है ।

(ii) निर्धारिती से शोध्य आय के विवरण फाइल किये गये हैं ।

(iii) निर्धारिती ने जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोके गये हैं, उनसे भिन्न सभी शोध्य कर मांगों का संदाय किया है ।

(iv) निर्धारिती, लम्बित निर्धारणों की पूर्णता को सुकर बनाने में विभाग को सहयोग देता रहा है ।

ख. (i) मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वे कम्पनियां जिनमें निर्धारिती सारतः हितबद्ध है और वे फर्में तथा व्यक्तियों के संगम, जिसमें या जिसमें वह क्रमशः भागीदार अथवा सदस्य है, जानबूझ कर विवरण फाइल नहीं कर रहे हैं अथवा कर मांगों का संदाय नहीं कर रहे हैं, अथवा लम्बित निर्धारणों की पूर्णता को सुकर बनाने में विभाग को सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

(ii) मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कम्पनी में सारतः हित रखने वाले आवेदक संगम के सदस्य होने वाले/आवेदक की फर्म के भागीदार होने वाले व्यक्ति जानबूझ कर अपनी आय के विवरण फाइल नहीं कर रहे हैं अथवा अपनी कर-मांगों का संदाय नहीं कर रहे हैं अथवा लम्बित निर्धारणों को पूर्णता को सुकर बनाने में विभाग को सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

यह प्रमाणपत्र, जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है ।

तारीख.....आयकर अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मोहर.....सर्किल/वार्ड/जिला.....

[सं० फा० 1(33)/71-एम० VI]

हर्ष गुप्त, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 15th March 1972

S.O. 400.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating to the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—Number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any Class or category of persons.

ANNEXURE I

JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH

PONDICHERRY-6

Recruitment Rules for Laboratory Attendant

1.	Name of post . . .	Laboratory Attendant.
2.	Number of post . .	37
3.	Classification . . .	G.C.S. Class IV Non-gazetted non-ministerial.
4.	Scale of pay . . .	Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110/-
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not Applicable.
6.	Age for direct recruits .	25 years and below.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	1. Passed Middle School Standard or equivalent Examinations. 2. Should have passed the Laboratory Attendant's course conducted by any recognised Institutions. OR Practical experience in laboratory work for at least one year.
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable.
9.	Period of probation if any,	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made.	Not Applicable.
12.	If a D.P.C. exist what is its composition.	Not Applicable.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable.

[No. F. 3-72/69-ME(PG).]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1972

जी० एस० आर० 400 — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियमावली 1971 कहलाये जा सकेंगे ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लाग होंगे ।

2. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हतायें आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताये तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में

सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

4. **अनर्हता** —कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा मे नियुक्ति का पात्र नही होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** —जहा केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानकूल है वहा वह कारणो को लिखित रूप मे रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियो के मामले मे इन नियमो के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताये	क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले मे प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताये लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीको द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले मे वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितिया जिनमे भर्ती के लिये सघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रयोगशाला परिचर	37	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-4 अराजपत्रित अनुसचिवीय	80-1-85-2-95-ई०रो०-3 110 रु०	लागू नही होता	25 वर्ष एव उससे कम ।	1. मिडिल स्कूल पास अथवा उसके समकक्ष 2. किसी मान्यता प्राप्त सस्थान से प्रयोगशाला परिचर का कोर्स पास किया होना चाहिये । अथवा प्रयोगशाला कार्य का कम से कम 2 वर्ष व्यवहारिक अनुभव ।	लागू नही होता	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नही होता ।	लागू नही होता ।	लागू नही होता ।

[सं० प० 3-72/69-एम ई (पी जी)]

G.S.R. 401.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulation the method of recruitment to the post of Gas Plant Attendent in the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Gas Plant Attendant) Recruitment Rules, 1971. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—Number of post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualification.**—No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

ANNEXURE I

JIPMER PONDICHERRY—6

Recruitment Rules for Gas Plant Attendant

1.	Name of the post . .	Gas Plant Attendant
2.	No. of posts . . .	1
3.	Classification . . .	General Central Service Class IV Non-gazetted Non-ministerial.
4.	Scale of pay . . .	Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110/-.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
6.	Age for direct recruits	Not Applicable.
7.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable.
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any,	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% By Promotion.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	From Workshop Attendant who have rendered not less than three years service in the grade.
12.	If a D.P.C. Exists what is its composition.	Class IV D.P.C.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable.

[No. F. 3-72/69-ME(PG).]

N. S. BHATIA, Under Secy.

जी० एस० आर० 401.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहर लाल स्नाकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी में गैस प्लांट परिचर के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान सस्थान, पाण्डिचेरी (गैस प्लांट) भर्ती नियमावली, 1971 कहलाये जा सकेंगे।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हतायें आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताये तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियो के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

4. **अनर्हता** : कोई व्यक्ति.—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है

सेर्वा में नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह से व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लाग होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्ठानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है।

अनसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
गैस प्लांट परिचर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित अनमुसचिवीय।	80–1–85–2–95–द०रो०–3 110 रु०	नान-सलैक्शन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हतायें लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाता है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक वा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	कर्मशाला परिचरों में से जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवायें की हों।	चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता।

[सं० प० 3–72/69-एम ई (पी जी)]

एन० एस० भाटिया, अवर सचिव।

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th March 1972

G.S.R. 402.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) No. G.S.R. 992 (F. 14-100/66-H), dated the 4th June, 1971, published on pages 2562-2564 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd July, 1971, on page 2562,—

(i) in line 42 for "(q)" read "(r)".

(ii) in line 43 for "(r)" read "(s)".

[No. F. 14-100/66-P.H.]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च 1972

जी० एस० आर० 402.—भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (i) दिनांक 3 जुलाई 1971 के पृष्ठ 2565–2569 में प्रकाशित भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार नियोजन निर्माण और आवास एव नगर विकास मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 992 (एफ० 14–100/66/जन स्वा०) दिनांक 4 जून 1971 (हिन्दी अनुवाद) में :—

(1) पंक्ति 36 में "(घ) के लिये "(द)" पढ़ें।

(2) पंक्ति 37 में "(द)" के लिये "(घ)" पढ़ें।

[सं० प० 14–100/66–जन स्वा०]

के० सत्यनारायण, अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

(D. G. E. & T.)

New Delhi, the 13th March 1972

G.S.R. 403.—In pursuance of clause (a) of sub-section (4) of section 1 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby makes, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment GSR-247 dated the 12th February, 1962, namely:—

In the said notification, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—

Major Group (Code)	Description	Minor Group (Code)
"85. Business Services.	Business services rendered by professional organisations or individuals such as those of advertising and publicity agencies.	852
	Business services rendered by professional organisations or individuals such as of those rendered by news-agency, newspaper correspondent, columnist, journalists, editors, authors.	853
86. Community Services and Trade and Labour Associations.	Community services such as those rendered by public libraries, museums, botanical and zoological gardens etc.	862
87. Recreation Services.	Recreation services rendered by cinema houses by exhibition of motion pictures.	871
88. Personal Services.	Laundry services rendered by organisation and individuals this includes all types of cleaning dyeing, bleaching, dry cleaning services.	883
	Hair dressing, other services rendered by organisations and individuals such as those by barber, hair dressing saloon and beauty shops.	884."

[No. 1(1)/68-AP]

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

[श्रम और रोजगार विभाग (रो० प्र० महानिदेशालय)]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1972

सा०का०नि० 403.—शिक्षु अधिनियम, 1961, 1961 का 52) की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा, इस अधिसूचना के सरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 247, दिनांक 12 फरवरी, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, वर्तमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी :—

मेजर ग्रुप (कोड)	विवरण	माइनर ग्रुप (कोड)
"85 व्यापार सेवा	व्यावसायिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा की गई व्यापार सेवाएं जैसे विज्ञापन तथा प्रचार अभिकरणों की सेवाएं	852
	व्यावसायिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा की गई व्यापार सेवायें जैसे समाचार-अभिकरण, समाचार संवाददाता, स्तभं लेखक, पत्रकारों, सम्पादकों, लेखकों द्वारा की गई व्यापार सेवायें	853
86 सामुदायिक सेवायें और ट्रेड तथा मजदूर संघ	सामुदायिक सेवायें जैसे सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनस्पति तथा जन्तुशालाओं आदि द्वारा की गई सेवायें	862
87 मनोरंजन सेवायें	चल चित्रों के प्रदर्शन द्वारा सिनेमा-घरों में की गई मनोरंजन सेवायें	871
88. वैयक्तिक सेवायें	संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा की गई लौंड्री सेवायें। इनमें हर प्रकार की क्लीनींग, ड्राइंग, ब्लीचिंग, ड्राई क्लीनिंग सेवायें शामिल हैं।	883
	संगठनों तथा व्यक्तियों जैसे नाई, हेयर ड्रैसिंग सैलून और ब्यूटी शोप्स द्वारा की गई हेयर ड्रैसिंग तथा अन्य सेवाएं।	884

[संख्या 1 (1)/68-ए० पी०]

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 16th November, 1971

G.S.R. 404.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture); namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Agriculture, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Assistant Director (Accounts)	1	General Central Service, Class I, Gazetted.	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.	Not applicable

Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
11	12	13
Transfer on deputation		
Accounts Officers/Audit Officers, or S.A.S. Accountants with 10 years service in the grade, from any of the Organised Accounts Departments e.g. Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Departments, Indian Railway Accounts Department, etc.	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).		

[No. A. 12018/7/70-Estt. I]

S. N. SINHA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1971

जी०एस०आर० 404.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कृषि विभाग, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति-आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक (लेखा)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1, राजपत्रित	400–400–450–30–600–35–670 द०रो०–35–950 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** किसी भी संगठित लेखा विभाग, अर्थात भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, आदि के ऐसे लेखा अधिकारियों/संपरीक्षा अधिकारियों, या एस०ए०एस० लेखापालों में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[सं० ए० 12018/7/70-स्था० 1.]

सो० ना० सिन्हा, अवर सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th March 1972

G.S.R. 405.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Storekeeper in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development (Storekeeper) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said Schedule in respect of direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to any of Scheduled Castes or Schedule Tribes or any other special category in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5 **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Storekeeper in the Bureau of Police research and Development (Ministry of Home Affairs)

Name of Post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8
Storekeeper	1	General Central Services Class III Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.	Selection post	18-30 years.	(a) Matriculation 1st or 2nd Division (with science subjects) (b) 2 years experience of handling of arms and ammunition stores.	No.

period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made	If a DPC exists, what is its Composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitments.
9	10	11	12	13
2 years	By promotion failing which by transfer or deputation failing which by direct recruitment	*Promotion* : — From amongst Head Constables who have put in not less than 3 years of service and having experience of handling arms and ammunition. *Tranfer*:— From amongst persons working in Police or Defence Services in equivalent grades or posts. *Deputation* : Of person holding equivalent or similar posts of persons working in next lower posts with experience of handling arms and ammunition. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years,	Class III DPC.	Not Applicable

[No. 6/7/70-BPR&D (Pers. I) (i).]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 7 मार्च, 1972

सा० का० नि० 405—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों में भंडारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं ; अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (भंडारी) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सलग्न वेतनमान य होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनि—दष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और अन्य बातें**:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के संबन्धी में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु—सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी ।

4. **निरर्हताएं**:—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके बारे में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिये उपबन्ध के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावी नहीं करेगी।

अनुसूची

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में भंडारी के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
भंडारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अनुसचिवीय—अराजपत्रित	130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300 रु०	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए युआ-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9
18-30 वर्ष	(क) मैट्रिकुलेशन प्रथम या द्वितीय श्रेणी (विज्ञान विषय सहित, (ख) आयुध और गोलाबारूद के भंडार के प्रबंध का 2 वर्ष का अनुभव।	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	प्रोन्नति / प्रतिनियक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिय, जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अन्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	: प्रोन्नति: हैड कान्स्टेबलों मे से, जिसने 3 वर्ष की सेवा की हो और जिसके पास आयवत और गोलाबारूद के प्रबंध का अनभव हो । अन्तरण : समतुल्य श्रेणियों मे या पदो पर पुलिस या रक्षा सेवा मे काम करने वाले व्यक्तियो में से । प्रतिनियुक्ति : समतुल्य या समरूप पद धारण करने वाले व्यक्तियों या उसके ठीक नीचे के पद पर काम करने वाले व्यक्तियो में से जिसके पास आयध और गोला–बारूद के प्रबन्ध का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि मामली तौर पर 3 वर्ष से अनधिक ।	वर्ग III विभागीय प्रोन्नति	लागू नही होना

[सं. 6/7/70-वी.पी.आर. एण्ड डी (पर्स-1) (i)]

G.S.R. 406.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development (Accountant) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other metters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

4. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6 **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Accountant in the Bureau of Police Research & Development (Ministry of Home Affairs,

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Accountant	One	General Central Services Class III, Non-gazetted, Ministerial.	Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—380.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Not Applicable.	Transfer on Deputation	*Transfer on deputation* : Of persons in equivalent grades or Upper Division Clerks of Central or State Government Departments having five years experience in accounts work. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not Applicable.	Not Applicable.

[No. 6/7/70-BPR&D(Pers. I) (ii).]

सा० का० नि० 406—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : —(1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (लेखापाल) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** —पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें** —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके बारे में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावी नहीं करेगी ।

अनुसूची

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में लेखपाल के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
लेखापाल	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	210—10—290—15—320—दक्षरो० 15—380 रु०	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति:—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में न परिधि स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों के उच्च श्रेणी लिपिकों या समतुल्य श्रेणियों के व्यक्तियों में से, जिसके पास लेखाकर्म में 5 वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि मामूली तौर पर 3 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 6/7/70-बी.पी.आर.एण्ड डी. (पर्सं-I) (ii)]

G.S.R. 407.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendent in the Bureau of Police Research and Development Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development (Library Attendant) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the maximum age limit specified in Column 6 of the said Schedule in respect of direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to any of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or any other special category in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Library Attendant in the Bureau of Police Research and Development (Ministry of Home Affairs)

Name of Post	No. of Posts.	Classification.	Scale of Pay	Whether Selection Posts or non-selection posts	Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Library Attendant	One	General Central Services, Class IV Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 80—1—8—52—95—EB—3—110.	Non-Selection	18—30 years	Matriculation or equivalent examination. Experience of work in a library for 3 years.	No

Period of if any	Promotion,	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion / deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9		10	11	12	13
2 Years		Promotion, failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.	*Promotion* : Of Daftary with at least 3 years' regular service in the grade. *Transfer on deputation* : Of persons holding similar or equivalent posts in a Central Government Department or from the rank of Police Constable working in State or Central Police Organisations. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years.)	Class IV DPC	Not applicable

[No. 6/7/70-BPR&D (Pers. I) (iii).]

सा० का० नि० 407–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में पुस्तकालय परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमो का नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (पुस्तकालय परिचारक) भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें** :–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे सम्बन्धित अन्य बाते वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के मामले मे शिथिल की जा सकेगी।

4. **निर्हताएं** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय वि. के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके ि जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध को व्यक्तियो के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शि कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमो की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके बारे में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अन अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो और व्यक्तियो के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध के लिए अपेक्षित आरक्षणो और रियायतो को प्रभावी नही करेगी।

अनुसूची

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) मे पुस्तकालय परिचारक के पदों के लिए भर्ती नियम

नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद । अचयन
1	2	3	4	5
पुस्तकालय परिचारक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	80–1–85–2–95–द० रो०–3–110–रु०	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
18—30 वर्ष	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** दफ्तरी में से, जिसकी इस श्रेणी में नियमित रूप से कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:** केन्द्रीय सरकारी विभाग में समरूप या समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से या राज्य या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में काम करने वाले पुलिस सिपाही की पंक्ति से। (प्रतिनियुक्ति की अवधि मामूली तौर पर तीन वर्ष से अनधिक)।	वर्ग iv विभागीय प्रोन्नति समिति।	लागू नहीं होता

[सं० 6/7/70-बी० पी० आर० एण्ड डी० (पर्सनल-1)(iii)]

New Delhi, the 20th March 1972

G.S.R. 408.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Central Intelligence Officer (Central Finger Print Bureau), Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Intelligence Bureau (Deputy Central Intelligence Officer (Central Finger Print Bureau), Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.,.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said Schedule in respect of direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled tribes or any other special category, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Central Intelligence Officer (Central Finger Print Bureau)	2	General Central Service Class II Gazeted Non-Ministerial	Rs. 400—25—500—30—500—EB—30—800—EB—30—830—35—900.	Selection	28 years (Relaxable for Govt. Servants)	*Essential*: (*i*) Degree of a recognised University or equivalent. (*ii*) Must have passed the examination of the Finger Prints Experts conducted by All India Board of Finger Prints Experts, Calcutta or equivalent. (Qualifications relaxable at Commissions/ discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No.	2 Years	By promotion failing which by deputation/transfer failing that by direct recruitment.	*Promotion* : Asstt. Central Intelligence Officer (Grade I) Central Finger Print Bureau with 3 years service in the grade. *Deputation/Transfer* Officers holding analogus posts or Officers of the rank of Inspector of Police or Officers of equivalent rank from any State Police Force or Central Government Department having passed the Finger Print Experts examination mentioned in column 7 and 3 years service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 5/50(C)/65(7) Pers. I]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1972

सा० का० नि० 408 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खुफिया उप-निरीक्षक (केन्द्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो), गृह मंत्रालय, के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम खुफिया ब्यूरो (केन्द्रीय खुफिया उप-अधिकारी—केन्द्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो) भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हता, आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :—

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।

4. **निरर्हताएं** —वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** . जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियम में की कोई भी बात, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावी नहीं करेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अयचन पद
1	2	3	4	5
केन्द्रीय खुफिया उप अधिकारी (केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो)]	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–II राजपत्रित अननुसूचित्रीय	400–25—500–30–590–द० रो० 30–800–द० रो. ०–30–830–35–900 रु०	चयन

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	**आवश्यक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य । (ii) उसे अंगुलि-छाप विशेषज्ञ, कलकत्ता या समतुल्य के आल इन्डिया बोर्ड द्वारा संचालित अंगुलि-छाप के विशेषज्ञों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय अंगुलि-छाप ब्यूरो, जिसकी इस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो। **प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण :** समान पद धारण करने वाले अधिकारियों या पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के अधिकारियों या किसी राज्य पुलिस बल या केन्द्रीय सरकार विभाग से समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों में से, जिसने स्तम्भ 7 में उल्लिखित अंगुलि छाप विशेषज्ञ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसने इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है। (सामान्यतः पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अनधिक)।	वर्ग–II विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित

[सं० 5/50 (सी)/65(7)(पसर्नल–1)]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

E. II Section

New Delhi, the 23rd February 1972

G.S.R. 409.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Education (Librarians Grade II and Grade III) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Education (Librarians Grade II and Grade III) Recruitment (Amendment) Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Education (Librarians Grade II and Grade III) Recruitment Rules, 1959,—

(a) in rule 4,—

(i) in proviso (a), the words "in the Ministry of Home Affairs" shall be omitted;

(ii) proviso (b) shall be omitted;

(b) after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:—

"5. *Disqualification.*—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/posts.";

(iii) in the Schedule, for the item relating to the posts of "Librarian Grade II" and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

Recruitment Rules for the post of Librarian Grade II in the Ministry of Education & Social Welfare

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Revised)	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion, transfer, grades, from which promotion to be made.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Librarian Grade II	24	General Central Service Class III Non-gazetted] non-Ministerial	Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425.	Non-selection	35 years	1. Graduate with Diploma in Library Science of a recognised University or its equivalent. 2. Two years experience in a public college, University or Departmental Library. OR Knowledge of regional language(s).	No.	Two years	50% by direct recruitment and 50% by promotion.	From Grade III Librarians who possess three years' service in the grade."

[No. A/12011/1/71/E. II.]

RAJENDRA NARAIN, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(ई०-2 अनुभाग)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 409.—संविधान के [अनुच्छेद 309] के उपबन्धों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, इसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय (पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3) भर्ती नियम, 1959 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को शिक्षा मंत्रालय (पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाये।

(2) सरकारी राजपत्र में छापने की तारीख से ये लागू होंगे ।

2. शिक्षा मंत्रालय (पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3) भर्ती नियम, 1959 में,—

(क) नियम 4 में—

(1) उपबंध (क) में "गृह मंत्रालय" शब्दों को काट दिया जाये ।

(2) उपबंध (ख) को काट दिया जाये ।

(ख) नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जायें अर्थात :—

"5 अयोग्यताएं :—

कोई भी ऐसा व्यक्ति :—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने की शक्ति.**—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, तो लिखित रूप में कारनो को दर्ज करते हुए तथा सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वह आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों/पदों के सम्बन्ध में किसी भी उपबन्ध में रियायत दे सकती है ।

(3) अनुसूची में "पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 2 के पद से संबंधित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां रखी जायें, अर्थात :—

(यहां वैसा ही पढ़ें जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है) ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 2 के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (परिशोधित)	प्रवरण पद है या अप्रवरण	प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
पुस्तकाध्यक्ष (ग्रेड 2)	24	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित गैर लिपक वर्गीय	रु० 210-10-290-15-320-द० रो-15-425.	अप्रवरण	35 वर्ष

अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यतायें	क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नति के विषय में भी लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की प्रणाली प्रत्यक्ष भर्ती या प्रतिनियुक्ति या तबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	पदोन्नति तबादले की स्थिति में उन ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति की जानी है ।
7	8	9	10	11
1. स्नातक, साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा इसके समक्ष । 2. किसी पब्लिक कालेज विश्वविद्यालय अथवा विभागीय पुस्तकालय में दो वर्ष का अनभव । अथवा प्रादेशिक भाषा (ओं) का ज्ञान ।	नहीं	दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा ।	ग्रेड 3 के उन पुस्तकाध्यक्षों में जिनकी ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा है ।"

[सं०ए/12011/1/71-ई-2.]

राजेन्द्र नारायण, अवर सचिव ।

(Department of Culture)

New Delhi, the 9th March 1972

G.S.R. 410.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Victoria Memorial Act, 1903 (10 of 1903), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Victoria Memorial Hall (General Provident Fund) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Account Officer" means such officer as may be appointed in this behalf by the Board of Trustees;

(b) "Emoluments", save as otherwise expressly provided, means pay, leave salary or subsistence grant as defined under the rules applicable to the employees of the Victoria Memorial Hall, Calcutta, and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible, and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;

(c) "Employee" means officer and servant employed by the Trustees;

(d) "Family" means—

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber and the widows, and children of a deceased son of the subscriber:

Provided that if a subscriber proves that his wife has ben judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimate in writing to the Account Officer that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or widows and children of deceased sons of a subscriber:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Account Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note.—"Child" means a legitimate child and includes an adopted child when adoption is recognized by the personal law governing the subscriber.

(e) "Fund" means the General Provident Fund constituted under rule 3.

(f) "Leave" means any variety of leave recognised by the Board of Trustees.

(g) "Trustees" means Trustees of the Victorial Memorial Hall.

(h) "Year" means a financial year.

(2) Any other expression used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), or in Fundamental Rules is used in the sense therein defined.

3. **Constitution of the Fund.**—(1) The Fund shall be maintained in rupees.

(2) The Fund shall consist of—

(a) subscriptions and contributions, if any, which are to be credited to the Fund in accordance with these rules;

(b) such additions to the Fund as the Trustees may at any time decide to make; and

(c) the income of the Fund from loans, deposits, and investments.

(3) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in an account named the Victoria Memorial Hall General Provident Fund Account.

(4) The Fund shall vest in, and be managed by, the Board of Trustees.

(5) Sums of which payment have not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to "Deposits"—at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. **Conditions of eligibility.**—All temporary employees of the Victoria Memorial Hall other than re-employed pensioners, after a continuous service of one year and all permanent employees shall subscribe to the Fund:

Provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a contributory provident fund shall be eligible to join, or continue as a subscriber to the Fund, while he retains his right to subscribe to the Fund, while he retains his right to subscribe to such a fund.

Note.—1. Apprentices or Probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of this rule.

Note.—2. A temporary employee who completes one year of continuous service after the fifteenth day of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

NOMINATIONS

5. **Nominations.**—(1) A subscriber shall at the time of joining the Fund, send to the Account Officer, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid:

Provided that if, at the time of making the nomination, the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family:

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be nomination duly made under this rule until he make a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in such one of the Forms set forth in the Schedule as is appropriate in the circumstances.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Account Officer and the subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family:

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under the first proviso shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the provisos thereto, the subscriber shall send to the Account Officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

NOTE.—In a case where no nomination exists in favour of the widow of a subscriber, the title of the widow to the claim against the General Provident Fund deposit of her former husband is not affected by her subsequent marriage.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Account Officer.

Subscriber's Account

6. **Subscriber's Account.**—An account shall be prepared in the name of each subscriber and any such account shall show the amount of his subscriptions with interest thereon calculated as prescribed in sub-rule (2) of rule 10, as well as advances and withdrawals from the Fund.

Conditions and Rates of Subscriptions

7. **Conditions of subscription.**—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period when he is under suspension;

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during any period of leave other than leave on average pay, or earned leave of less than one month or 30 days' duration, as the case may be:

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions payable for that period.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave in the following manner, namely:—

(a) if he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the head of his office before he proceeds on leave.

(3) Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

(4) The option of a subscription intimated under sub-rule (2) shall be final.

(5) A subscriber who has under rule 18 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

8. **Rate of subscription.**—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely:—

(a) it shall be expressed in whole rupees;

(b) it may be any sum, so expressed, not less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments:

Provided that in the case of class IV employees the minimum rate of subscription shall be Rs. 4 a month in the case of those drawing a pay of less than Rs. 75 a month, and Rs. 5 a month in the case of others;

(c) when an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent, the fraction of a rupee shall be rounded to the nearest whole rupee, fifty paise counting as the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the emoluments of a subscriber shall be—

(a) in the case of a subscriber who was in service of Victoria Memorial Hall on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date:

Provided that—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under

suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been on duty in India;

(b) in the case of a subscriber who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3 The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner, namely:—

(a) if he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(c) if he has entered Victoria Memorial Hall service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

(d) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;

(e) if he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the Fund on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be enhanced or reduced once at any time during the course of a year:

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1):

Provided further that if a subscriber is on duty for a part of a month and on leave for the remainder of that month and if he has elected not to subscribe during leave, the amount of the subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty in the month.

Realisation of Subscriptions

9. **Realisation of subscription.**—(1) When emoluments are drawn, recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) When emoluments are drawn from any outside source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Account Officer.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 7, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscripton shall with interest thereon at the rate provided in rule 10, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Acount Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of rule 11:

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

Interest

10. **Interest.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), the Board of Trustees shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate, as may be determined for each year, according to the method of calculation prescribed by it from time to time:

Provided that a subscriber who was previously subscribing to any other provident fund of the Central Government and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in this Fund shall also be allowed interest at four per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner, namely:—

(i) On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year interest for twelve months;

(ii) On sums withdrawn during the current year—interest from the beginning of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) on all sums credited to the subscriber account after the last day of the preceding year—interest from the date of deposit up to the end of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee, (fifty paise counting as the next higher rupee):

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(3) In this rule, the date of deposit shall, in the case of a recovery from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and, in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Account Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month:

Provided that where there has been a delay in drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn:

Provided further that in case of an amount forwarded in accordance with sub-rule (2) of rule 9, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Account Officer before the fifteenth day of that month.

(4) In addition to any amount to be paid under rules 17, 18 or 19, interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that where the Account Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only up to the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Account Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under sub-rule (3) of rule 9, sub-rule (6) of rule 12, rule 17, or rule 18 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under, and so far as may be in the manner described in, this rule.

Advances from the Fund

11. **Advance from the Fund.**—(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely—

(a) to pay expenses in connection with the illness or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him in the following cases, namely:—

(i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependent on him:

Provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber:

Provided further that the condition of actual dependence shall not apply in the case of an advance required to meet the funeral expenses of the parent of a subscriber;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duties:

Provided that the advance under this clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duties or against the Trustees in respect of any conditions of service or penalty imposed on him;

(e) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by the Trustees in any court of law or where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an inquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

Note. 1. For the purpose of this rule, 'pay' includes dearness pay, where admissible.

NOTE: 2. The appropriate sanctioning authority for the purpose of this rule shall be The Honorary Secretary of the Board of Trustees.

12. **Recovery of advances.**—(1) (a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four.

(b) In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (2) of rule 11, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six.

(c) A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month.

(d) Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner provided in rule 9 for the realisation of subscriptions, and shall commence on the first occasion after the advance is made on which the subscriber draws pay for a full month.

(3) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.

(4) Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave other than leave on average pay or earned leave of less than one month or 30 days' duration, as the case may be.

(5) (a) After the principal of the advance has been fully repaid, interest shall be paid thereon at the rate of one-fifth per cent of the principal for each month or broken portion of a month, during the period between the drawal and complete repayment of the principal:

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay into the Fund any additional insalments on account of interest on advances granted to them from the Fund.

(b) Interest shall ordinarily be recovered in one instalment in the month after complete repayment of the principal, but if the period referred to in clause (a) exceeds twenty months, interest may, if the subscriber so desires, be recovered in two equal monthly instalments.

(c) The method of recovery shall be that prescribed in sub-rule (2).

(d) Payments shall be rounded to the nearest rupee in the manner prescribed in clause (iv) of sub-rule (2) of rule 10.

(6) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall, with interest at the rate provided in rule 10, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Account Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (2) of Rule 11:

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay interest.

(7) Recoveries made under this rule shall be credited to the subscriber's account in the Fund.

13. **Wrongful use of advance.**—(1) Notwithstanding anything elsewhere contained in these rules, if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under rule 11 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, the amount in question shall with interest at the rate provided in rule 10 forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave.

(2) If the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Withdrawal from the Fund

14 **Withdrawal from the Fund**—Subject to the conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the authority competent to sanition an advance for special reasons under sub-rule (2) of rule 11, at any time after the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of any child of the subscriber actually dependent on him in the following cases, namely—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

Provided that the course of study is for not less than three years;

(b) meeting the expenditure in connection with the marriage of a son or a daughter of the subscriber and if he has no daughter, of any other female relation dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him;

(d) building or acquiring a suitable house for residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of the loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date, or reconstructing, or making additions or alterations to above already owned or acquired by a subscriber;

(e) purchasing a house-site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for the withdrawal but not earlier than twelve months of that date; and

(f) for constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (e).

NOTE.—A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Department of Works, Housing and Urban Development for the grant of advances for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard any other Government source, shall not be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (d), (e) or (f) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme.

15. **Conditions for withdrawal.**—(1) (a) Any sum withdrawn by a subscriber at any time for one or more of the purposes specified in rule 14 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months' pay, whichever is less.

(b) The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4ths of the balance at his credit in the Fund having due regard to

(i) the object for which the withdrawal is being made,

(ii) the status of the subscriber, and

(iii) the amount to his credit in the Fund:

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under sub-rule (1) shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he falls to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum together with interest thereon at the rate determined under rule 10 by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Board of Trustees.

(3) Nothing in sub-rule (2) shall be deemed to require a subscriber whose deposits in the Fund carry no interest, to pay any interest on any sum repayable by him under that sub-rule.

16. **Conversion of an advance into withdrawal.**—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 11 for any of the purposes specified in rule 14 may convert, at his discretion, by written request addressed to the Account Officer, through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in rules 14 and 15.

17. **Final withdrawal of accomulations in the Fund.**—When a subscriber quits the service, the amount the standing to his credit in the Fund shall become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board of Trustees, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 10 in the manner provided in the proviso to rule 18 and that the amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation.—A subscriber who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of his compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

18. **Retirement of subscriber.**—When a subscriber

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or

(b) while on leave, has been permitted to retire or declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Account Officer, become payable to the subscriber: Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, if required to do so by the Board or Trustees, repay to the Fund in credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 10 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (2) of rule 11.

19. **Procedure on death of subscriber.**—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, before payment has been made.

(i) when the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 5 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

(i) sons who have attained majority,

(ii) sons of a deceased son who have attained majority,

(iii) married daughters whose husbands are alive,

(iv) married daughters of a deceased son whose husbands are alive,

if there is any member of the family other than those specified in (i), (ii), (iii) and (iv).

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of item (i) of the first proviso.

(2) when the subscriber leaves no family, if anomination made by him in accordance with provisions of rule 5 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

20. **Manner of payment of amount in the Fund.**—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be the duty of the Account Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), the payment shall be made to such manager and not to the lunatic.

(3) (a) Any person who desires to claim payment under this rule shall send a written application in that behalf to the Account Officer.

(b) Payment shall be made in India only and the persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India.

NOTE.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rule 17, 18 or 19, the Account Officer shall authorise prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being adjusted as soon after as may be.

21. **Transfer of amount to the Fund in certain cases.**—If an employee admitted to the benefit of the Fund, was previously a subscriber to any Provident Fund of any State Government or the Central Government or of a body corporate owned or controlled by Government, the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of that body.

22. **Relaxation of the provisions of these rules in individual cases.**—When the Board of Trustees is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, it may,

notwithstanding anything contained in these rules deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

23. **Account number of the subscriber.**—When paying a subscription either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Account Officer and any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Account Officer.

24. **Annual statement of account to be applied to the subscriber.**—(1)(a) As soon as possible after the close of each year, the Account Officer shall supply each subscriber with a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date;

(b) The Account Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber—

(i) desires to make any alteration in any nomination made under rule 5,

(ii) has acquired a family in cases where the subscriber had made no nomination in favour of member of his family under the first proviso to sub-rule (1) of rule 5.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Account Officer within three months from the date of receipt of the statement.

(3) The Account Officer shall, if required by a subscriber, once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

25. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Board of Trustees for decision.

26. **Rounding up to the nearest rupee.**—The amount in respect of every transaction, accumulations transferred from other funds, and interest on temporary advances from the Funds shall be rounded off to the nearest whole rupee as and when each transaction takes place.

THE SCHEDULE

[Rule 5 (3)]

Form of Nomination

1. When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family as defined in rule 2 of the Victoria Memorial Hall (General Provident Fund), Rules, 1971, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5

Dated this.....day of 19

at .....

Signature of subscriber,

TWO witnesses to signature

1.....

2.....

II. When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in rule 2 of the Victorial Memorial Hall (General Provident Fund) Rules, 1971, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:—

Name and address of Nominee	Relationship with subscriber	Age	*Amount or share of accumulations to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5	6

Dated this ..... day of 19

at.....

Signature of subscriber

Two witnesses to signature

1.....

2.....

*Note.—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

III. When the subscriber has no family and wishes to nominate one person.

I having no family as defined in rule 2 of the Victoria Memorial Hall (General Provident Fund) Rules, 1971, hereby nominated the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	*Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person/ persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5

Dated this ..... day of 19

at .....

Signature of subscriber.

Two witnesses to signature

1.....

2.....

‡Note.—Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

IV. When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person.

I, having no family as defined in rule 2 of the Victoria Memorial Hall (General Provident Fund) Rules, 1971, hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that amount may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names:—

Name and address of nominees	Relationship with subscriber	Age	*Amount or share of accumulations to be paid to each	†Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber
1	2	3	4	5	6

Dated this..... day of .....19 .
at.....

Two witnesses to signature

1.....

2.....

Signature of subscriber.

*Note.—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to credit of the subscriber in the Fund at any time.

†Note.—Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

[No. F. 6-4/70-CAI-5.]

Sd./- Illegible, Under Secy.

(संस्कृतिक विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972

जी० एस० आर० 410—विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 (1903 का 10 वां) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों को विक्टोरिया स्मारक हाल (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1972 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** :—(1) जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो इन नियमों में:—

(क) "लेखा अधिकारी" का अर्थ है ऐसा अधिकारी जो इस सम्बन्ध में न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो,

(ख) "परिलब्धियां", स्पष्टतया अन्यथा उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, इसका अर्थ है वेतन, छुट्टी का वेतन, अथवा निर्वाह अनुदान जैसा विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के कर्मचारियों को, लागू नियमों के अन्तर्गत बताया गया है, और इसमें वेतन के अनुकूल महंगाई वेतन, छुट्टी का वेतन, अथवा निर्वाह अनुदान, यदि स्वीकार्य हो तो, तथा अन्य सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन के प्रकार का कोई पारिश्रमिक, शामिल हैं,

(ग) "कर्मचारी" का अर्थ है न्यासी द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी और कर्मचारी,

(घ) परिवार का अर्थ है :—

(1) पुरुष अंशदाता के मामले में, अंशदाता की पत्नी अथवा पत्नियां और बच्चे तथा विधवाएं, और अंशदाता के मृत लड़के के बच्चे,

परन्तु यदि अंशदाता यह सिद्ध करे कि उसकी पत्नी उससे कानूनी तौर से अलग हो गई है अथवा उस समाज के प्रथागत कानून के अनुसार जिससे वह (पत्नी) सम्बन्धित है, उसकी पत्नी नहीं रही है, और अनुरक्षण के लिए पात्र है तो तबसे उसको (पत्नी उन मामलों में जिससे ये नियम सम्बन्धित है, अंशदाता के परिवार की सदस्या नहीं समझा जाए जब तक बाद में अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसको (पत्नी) इसी तरह से समझा जाना जाए,

(2) महिला अंशदाता के मामले में, पति और अंशदाता के बच्चे तथा अंशदाता के मृत लड़कों की विधवा अथवा विधवाएं और बच्चे :

परन्तु यदि अंशदाता लिखित रूप में नोटिस द्वारा लेखा अधिकारी को अपने पति को अपने परिवार से निकालने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करे तो तब से पति को उन मामलों में जिनसे ये नियम सम्बन्धित हैं, अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जाए जब तक अंशदाता बाद में इस नोटिस को लिखित रूप में रद्द न करे।

टिप्पणी:—"बच्चा" इसका अर्थ है वैध बच्चा और इसमें गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है यदि दत्तक ग्रहण अंशदाता को लागू व्यक्तिक कानून द्वारा मान्य हो ।

(ङ) "निधि" का अर्थ है नियम 3 के अन्तर्गत गठित सामान्य भविष्य निधि ।

(च) "छुट्टी" का अर्थ है न्यासी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रकार की छुट्टी ।

(छ) "न्यासी" का अर्थ है विक्टोरिया स्मारक हाल के न्यासी ।

(ज) "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष :—

(2) इन नियमों में प्रयोग की गई कोई भी अभिव्यक्ति, जिसका उल्लेख या तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19 वां) में अथवा मूल नियमों में किया गया है, उसका प्रयोग इनमें उल्लिखित भाव के अनुसार किया गया है ।

3. निधि का गठन :—

(1) निधि रुपयों में रखी जाएगी ।

(2) इस निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) चन्दे और योगदान यदि कोई हों तो, जो इन नियमों के अनुसार निधि में जमा किये जाते हैं ;

(ख) निधि में ऐसी वृद्धियां जो किसी भी समय न्यासी करने के लिए निर्णय करें, और

(ग) ऋणों, जमा और पूंजी लगाने से निधि की आय ।

(3) इन नियमों के अन्तर्गत निधि में अदा की गई सारी धन राशियां विक्टोरिया स्मारक हाल सामान्य भविष्य निधि लेखा नामक लेखे में जमा करनी होंगी ।

(4) निधि न्यासी बोर्ड के अधिकार में होगी और वह ही इसकी देख रेख करेगा ।

(5) जिन धन राशियों का भुगतान इन नियमों के अन्तर्गत उनके देय हो जाने के बाद में छः महीनों के अन्दर नहीं लिया गया है, वे वर्ष के अन्त में, "जमा" में स्थानान्तरित की जाएगी और वे जमा से संम्बन्धित साधारण नियमों के अन्तर्गत समझी जाएगी ।

4. पात्रता की शर्तें:—पुनः नियुक्त पेंशन पानेवाले के अलावा विक्टोरिया स्मारक हाल के सभी अस्थाई कर्मचारी, एक वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद तथा सभी स्थायी कर्मचारी इस निधि में अंशदान करेंगे:

किन्तु ऐसा कोई भी कमचारी, जिसका अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करना अपेक्षित है अथवा जिसको अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए अनुमति दी गई है, निधि में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निधि के अंशदाता के रूप में नहीं रहेगा, जबकि इस निधि के लिए अंशदान करने के हेतु वह अपने अधिकार को रखे रहेगा ।

टिप्पणी:—1 शिक्षु और परिवीक्षार्थी को इस नियम के प्रयोजन के लिए अस्थायी कर्मचारियों के रूप में समझा जाएगा ।

टिप्पणी:—2 जो अस्थायी कर्मचारी महीने के पंद्रहवें दिन के बाद अपनी निरन्तर सेवा का एक वर्ष पूर्ण करता है, वह निधि के लिए अंशदान अगले महीने से करेगा ।

मनोनयन

5. मनोनयन:—(1) निधि में शामिल होते समय अंशदाता लेखा अधिकारी को एक मनोनयन भेजेगा जिसमें वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निधि में उसके खाते जमा उसकी राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा, यदि उसकी मोत, उस राशि के देय होने से पहले अथवा देय हो गई हो किन्तु उसका भुगतान न किया गया हो, हो जाए ।

बशर्ते कि मनोनयन के समय यदि अंशदाता का परिवार है तो मनोनयन उसके परिवार के सदस्यो के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम नहीं होगा ।

यह भी कि अंशदाता इस निधि में शामिल होने से पहले यदि किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस अन्य निधि में जमा वह राशि इस निधि में स्थानान्तरित हो गई है तो उस संम्बन्ध में अंशदाता द्वारा किये गये मनोनयन को इस नियम के अन्तर्गत किया गया विधिवत मनोनयन समझा जाएगा, जब तक कि इस नियम के अनुसार वह मनोनयन करें ।

(2) यदि अंशदाता उप-नियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वह मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति को देय राशि अथवा राशि के भाग का इस प्रकार से स्पष्ट उल्लेख करेगा ताकि किसी समय निधि में उसके खाते जमा सारी राशि शामिल हो जाए ।

(3) प्रत्येक मनोनयन परिस्थितियों के अनुसार अनुसूची में दिए गये किसी भी एक फार्म में किया जाएगा ।

(4) अंशदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित रूप में नोटस भेजकर मनोनयन को रद्द कर सकता है और अंशदाता इस नोटिस के साथ अथवा अलग से इस नियम को व्यवस्थाओं के अनुसार नया मनोनयन भेजेगा ।

(5) अंशदाता मनोनयन में निम्नलिखित की व्यवस्था करे :—

(क) किसी निर्दिष्ट मनोनीत व्यक्ति के संम्बन्ध में, अंशदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर उस मनोनीत व्यक्ति को दिया गया अधिकार उस अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दे दिया जाएगा जो कि मनोनयन में निर्दिष्ट हो बशर्ते कि यदि अंशदाता के अपने परिवार के अन्य सदस्य हैं तो ऐसे अन्य व्यक्ति एसे अन्य सदस्य होंगे । इस खण्ड के अन्तर्गत जहां

अंशदाता ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्ति को दे देता है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को देय राशि अथवा राशि के भाग का इस प्रकार से स्पष्ट उल्लेख करेगा ताकि मनोनीत व्यक्ति की देय सारी राशि शामिल हो जाए ।

उस मनोनयन में निर्दिष्ट आकस्मिक घटना होने पर इस मनोनयन को अवैध माना जाएगा ।

बशर्ते कि मनोनयन करते समय अंशदाता का कोई परिवार नहीं है तो उसको मनोनयन में यह व्यवस्था करनी होगी कि बाद में इसके परिवार होने पर यह अवैध हो जाएगें, बशर्ते यह भी कि मनोनयन करते समय यदि अंशदाता का परिवार का केवल एक सदस्य है तो उसको मनोनयन में यह व्यवस्था करनी होगी कि पहले उपबन्ध के अन्तर्गत दूसरे व्यक्ति को दिया गया अधिकार बाद में इसके द्वारा अपने परिवार में अन्य सदस्य अथवा सदस्यों को ले लेने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) उस मनोनीत व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु पर जिसके सम्बन्ध में उप-नियम (5) के खण्ड (क) के अन्तर्गत मनोनयन में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है अथवा उप-नियम (5) के खण्ड (ख) अथवा उसके उपबन्धों के अनुसरण में किसी घटना के होने पर मनोनयन अवैध हो जाए तो अंशदाता लिखित रूप में मनोनयन को रद्द करने के लिए नोटिस भेजेगा और साथ में इस नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार नया मनोनीत भी भेजेगा ।

टिप्पणी:—यदि अंशदाता को विधवा के नए मनोनयन नहीं है तो उस मामले में उसके द्वारा दूसरी शादी करने पर भी उसके पहले पति को समान्य भविष्य निधि में जमा राशि के लिए उसके (विधवा) दावे का अधिकार रहेगा ।

(7) अंशदाता द्वारा किया गया प्रत्येक मनोनयन और रद्द करने के लिए दिया गया प्रत्येक नोटिस यदि वैध है, तो वे उस तारीख से प्रभावी होंगे जब वे लेखा अधिकारी को प्राप्त हुए हैं ।

अंशदाता का लेखा

6. अंशदाता का लेखा :—प्रत्येक अंशदाता के नाम लेखा तैयार किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे लेख में, उसके अंशदान को राशि नियम 10 के उपनियम (2) में जैसा निधारित किया गया है उसके अनुसार उस पर परिकलित ब्याज के साथ साथ निधि से ली गई अग्रिम राशि और निकाली गई राशि, दिखाई जाएगी ।

अंशदाता की दरें और शर्तें

7. (1) अंशदाता को इस निधि में मासिक अंशदान करना होगा । किन्तु यदि वह मुअत्तल है तो उस अवधि के दौरान वह अंशदान नहीं करेगा ।

बशर्ते कि अंशदाता अपनी इच्छा पर औसत वेतन को छुट्टी के अलावा छुट्टी को किसी अवधि अथवा एक महीने से कम के अर्जित अवकाश अथवा 30 दिनों की अवधि के दौरान, जैसी भी स्थिति हो अंशदान नहीं करे ।

बशर्ते यह भी कि मुअत्तली की अवधि पूरी करने के बाद अंशदाता के बहाली होने पर उसको एक मुश्त दें अथवा किस्तों में कोई भी राशि देने का विल्कप दिया जाएग । किन्तु यह राशि उस अवधि में दिए जाने वाले बकाया अंशदानों की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।

(2) अंशदाता छुट्टी के दौरान अंशदान न करने की अपनी इच्छा को निम्नलिखित तरीके से सूचित करेगा :—अर्थात् :—

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन-बिल स्वयं तैयार करता है तो छुट्टी पर जाने के बाद तैयार किए गए अपने पहले वेतन बिल में अंशदान को कोई कटौती न करके ।

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपना वेतन-बिल स्वयं तैयार करता है तो छुट्टी पर जाने से पूर्व अपने कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर ।

(3) उचित और समय पर सूचना न देने पर यह समझा जाएगा कि अंशदाता अंशदान जारी रखना चाहता है ।

(4) उप-नियम (2) के अन्तर्गत अंशदाता द्वारा सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा ।

(5) जिस अंशदाता ने नियम 18 के अन्तर्गत निधि में से उसके खाते जमा राशि में से धन निकाला है, वह इस निकाले गए धन के बाद जब तक छुट्टी से वापस न आएं तब तक इस निधि में अंशदान नहीं करेगा ।

8. **अंशदान की दर**.—(1) निम्नलिखित शर्तों पर अंशदाता स्वयं ही अंशदान की राशि नियत करेगा, अर्थात् :—

(क) यह पूरे रुपयों में बताया जाएगा ,

(ख) इस प्रकार बताई गई कोई भी राशि उसकी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम नहीं होगा और उसको कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा : बशर्ते कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अंशदाना की न्यूनतम दर उन कर्मचारियों के लिए जो 75/– रुपए मासिक से कम वेतन लेते हैं; प्रति मास 4 रुपए होगी और अमूय के मामले में प्रति मास 5 रुपए ।

(ग) जब कर्मचारी 6 प्रतिशत के न्यूनतम दर पर अंशदान करना चाहता है तो रुपए के अंश को निकटतम पूरे रुपए तक लाया जाएगा, और पचास पैसे को पूरा रूपया माना जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए अंशदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :—

(क) उस अंशदाता के मामले में जो पिछले वर्ष को 31 मार्च को विक्टोरिया मेमोरियल हाल की सेवा में था, वे परिलब्धियां जिसके लिए वह उस तारीख को पात्र था :

बशर्ते कि

(1) उक्त तारीख को यदि अंशदाता छुट्टी पर था और उस छुट्टी के दौरान अंशदान करने के लिए नहीं कहा अथवा उक्त तारीख को वह मुअत्तल था, तो उसकी परिलब्धियां वे होंगी जिसके लिए वह ड्यूटी पर वापस आने के बाद पहले दिन पात्र था ;

(2) यदि अंशदाता उक्त तारीख को भारतवर्ष के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था अथवा उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसके बाद भी छुट्टी पर रहे और इस छुट्टी के दौरान अंशदान करने के लिए इच्छा प्रकट की है तो उसकी परिलब्धियां वे होंगी जिसके लिए वह भारत में ड्यूटी पर होते हुए पात्र होता ,

(ख) उस अंशदाता के मामले में जो पिछले वर्ष को 31 मार्च, को नौकरी में नहीं था तो उसकी परिलब्धियां वे होंगी जिसके लिए वह इस निधि में शामिल होने के दिन पात्र था ।

(3) अंशदाता प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित तरीके से अपने मासिक अंशदान की राशि का निर्धारण सूचित करेगा, अर्थात्

(क) यदि वह पिछले वर्ष को 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो उस महीने के अपने वेतन बिल में से इस सम्बंध में जो कटौती वो करें ;

(ख) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और इस छुट्टी पर के दौरान अंशदान न करने की इच्छा प्रकट की हो अथवा उस तारीख को वह मुअत्तल था तो ड्यूटी पर वापस आने के बाद अपने पहले वेतन बिल में से इस संबंध में जो कटौती वह करे ;

(ग) यदि वर्ष के दौरान वह पहली बार विक्टोरिया मेमोरियल हाल की सेवा में शामिल हुआ है तो जिस महीने इस निधि में शामिल हो अपने वेतन बिल में से इस सम्बन्ध में उस महीने से जो कटौती वो करे ;

(घ) यदि वह पिछले वर्ष को 31 मार्च को छुट्टी पर था और बाद में भी छुट्टी पर रहा और इस छुट्टी के दौरान अंशदान करने की इच्छा प्रकट की है तो उस महीने के अपने वेतन बिल से इस सम्बंध में उस महीने से जो कटौती वो करना चाहें ;

(ङ) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो चालू वर्ष में अप्रैल महीने के लिए अंशदान के सम्बन्ध में निधि में उसके द्वारा की गई जमा राशि ।

(4) इस प्रकार नियत की गई अंशदान की राशि वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है :

बशर्ते कि जब अंशदान की राशि इस प्रकार घटाई जाए तो वह उप-नियम (1)में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी :

बशर्ते यह भी कि यदि अंशदाता महीने के कुछ अंश के लिए ड्यूटी पर है और उस महीने की बकाया अवधि के लिए छुट्टी पर रहा और यदि छुट्टी के दौरान उसने अंशदान न करने की इच्छा प्रकट की है तो अंशदान को देय राशि उस महीने में ड्यूटी पर रहे दिनों की संख्या के अनुपातिक होगी ।

अनुदानों की वसूली

9 **अंशदानों की वसूली**–(1) जब परिलब्धियां ली जायें, तो इन परिलब्धियों के सम्बन्ध में अंशदानों और अग्रिम राशियों के मूल और ब्याज की वसूली इन परिलब्धियों में से ही की जाएगी ।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती है तो अंशदाता अपनी देय राशि लेखा अधिकारी को प्रति मास भेजेगा ।

(3) जिस तारीख से अंशदाता को इस निधि में शामिल होना है यदि उस तारीख से वह अंशदान न करे अथवा नियम 7 में जो व्यवस्था है उससे अन्यथा, वर्ष के दौरान किसी महीने अथवा महीनों में अदायगी नहीं की है तो अंशदाता को निधि में अंशदान को बकाया राशि के कारण कुल देय राशि तथा उस पर नियम 10 में निर्धारित दर से ब्याज को शीघ्र ही निधि में जमा करना होगा अथवा अदायगी न करने पर लेखा अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए कि यह राशि अंशदाता को परिलब्धियों में से किस्तों अथवा अन्य प्रकार से कटौती द्वारा वसूल की जाएं, जैसा कि अग्रिम राशि को, जिसके लिए नियम 11 के उप-नियम (2) में विशेष कारण अपेक्षित हैं, स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी निर्देशित करे ।

बशर्ते कि वे ऐसे अंशदाता किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देंगे जिनको जमा निधि पर कोई ब्याज नहीं लगता है ।

10 ब्याज

ब्याज

10 **ब्याज**.–(1) उप-नियम (5) की धाराओं की शर्त पर न्यासी मंडल अंशदायी को उसके लेखे के खाते पर ब्याज को उस दर पर देगा, जो समय समय पर निर्धारित गणना की पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित की जाए ।

बशर्ते कि जो अंशदायी पहले भी केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, और उस पर ब्याज सहित जिसके अंशदान इस निधि में उसके खाते में स्थानान्तरित हो गया है, तो इस अंशदान पर भी 4 प्रतिशत की दर से ब्याज ग्राह्य होगा यदि, वह इस प्रकार की अन्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उसी दर पर ब्याज प्राप्त कर रहा था।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित पद्धति से जमा किया जाएगा, अर्थात:—

(1) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अंशदायी के खाते में उसमें से चालू वर्ष के दौरान किसी भी धन के निकाले जाने वाली राशियों को टाकर जमा धन राशि पर, बारह महीनों का ब्याज।

(2) चालू वर्ष मे निकाली गई धन राशियों पर, प्रारम्भ के माह से (धन) निकाले गए पूर्ववर्ती माह से ब्याज।

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् अंशदायी के लेखे में जमा सभी धन-राशियों पर चालू वर्ष के अन्त पर जमा करने की तारीख तक का ब्याज।

(4) ब्याज की कुल राशि सारे रुपये के नजदीक का आंकड़ा होगी (पचास पैसों को अगले रुपए तक ही गिना जाएगा)।

बशर्ते कि जब अंशदायी के खाते में जमा धन-राशि देय बन जाती है तो इस नियम के अन्तर्गत उस पर ब्याज केवल चालू वर्ष के आरम्भ से अथवा जमा करने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, उस तारीख तक की अवधि का, जिस तारीख को अंशदायी के खाते में जमा धनराशि देय बन गई, जमा होना चाहिए।

(3). इस नियम में, जमा करने की तारीख माह का प्रथम दिन होगा जिस माह की परिलब्धियों में से वसूली की जाएगी। और अंशदायी द्वारा धन अग्रेषित करने के मामले में, प्राप्त होने वाली माह का प्रथम दिन होना चाहिए, यदि यह (धन) लेखा अधिकारी द्वारा उस माह के पांचवे दिन को प्राप्त होता है। परन्तु यदि यह (धन) उस माह के पाचवे दिन अथवा बाद में प्राप्त होता है तो प्रथम दिन उत्तरवर्ती माह का होगा।

बशर्ते कि वहां, जहां एक अंशदायी के वेतन, अथवा अवकाश वेतन और भत्ते के लेने में विलम्ब हो गया है, और फलस्वरूप इस निधि में उसके अशदानो को वसूली में भी विलम्ब हो गया हो, तो नियमों के अधीन बिना उस माह का ध्यान रखते हुए जिसमे वस्तुतया वेतन, अथवा अवकाश वेतन लिया जाता है, इस प्रकार के अंशदानों पर ब्याज उसी माह से देय होना चाहिए जिस माह में अशदायी का वेतन, अथवा अवकाश वेतन देय था।

और आगे बशर्ते कि नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसार अग्रेषित धन के मामले में, जमा करने की तारीख उस माह की प्रथम तारीख होनी चाहिए, यदि यह राशि लेखा-अधिकारी द्वारा उसी माह के पद्रहवे दिन से पूर्व प्राप्त हो जाती है।

(4) नियम 17,18 अथवा 19 के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी राशि के अतिरिक्त, उस पर उत्तरवर्ती माह के अंत तक का ब्याज, उस माह से दिया जाता है, अथवा जिस माह में राशि देय बन गई, उसके छ: माह के अन्त के पश्चात् इनमे से जो भी अवधियां कम हों, उस व्यक्ति को देय होगा जिसे इस प्रकार की राशि दी जाती है :—

बशर्ते की जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (अथवा उसके अभिकर्ता) को उस तारीख को सूचित करता है कि वह उस तारीख को अदायगी नगदी में करने को तैयार है, अदायगी का चैक उस व्यक्ति को डाक द्वारा भेज दिया है, तो ब्याज केवल उत्तरवर्ती माह के अन्त तक की सूचित तारीख अथवा चैक डाक द्वारा भेजने की तारीख—जैसा भी मामला हो, तक देय होगा।

(5) ब्याज को अंशदायी के खाते में जमा ही नहीं किया जाना चाहिये, यदि वह लेखा अधिकारी को सूचित करता है कि वह इसे प्राप्त नही करना चाहता है। परन्तु यदि वह बाद मे ब्याज के लिये पूछता है तो यह उसके खाते मे उस वर्ष के प्रथम दिन से जमा किया जाना चाहिये, जिसमे वह इसके लिये कहता है।

(6) नियम 9 के उप-नियम (3), नियम 12 के उप-नियम (6) के नियम 17, अथवा नियम 18 के अन्तर्गत इस निधि मे अंशदायी के खाते मे जमा के स्थान पर ब्याज, उन राशियों पर किसी दरो पर गिना जायेगा, जो इन और यथा सम्भव इन नियमों, मे उल्लिखित पद्धति के अनुसार क्रमश: जैसे निर्धारित किया जाये।

धन से पेशगी (कर्ज)

11. धन से पेशगियां (कर्ज) (1) उपयुक्त संस्वीकृत अधिकारी किसी अंशदायी को सारे रुपयों की राशि को और वह राशि तीन माह के वेतन की राशि से अधिक न हो अथवा इस निधि में उसके खाते में जमा राशि को आधी पेशगी (कर्ज) की अदायगी, जो भी कम हो, निम्न लिखित एक अथवा अधिक प्रयोजनो के लिए स्वीकृत कर सकता है, अर्थात् :—

(क) अंशदायी अथवा उस पर वास्तविक तौर पर आश्रित किसी व्यक्ति के जहा अपेक्षित हो यात्रा खर्चों सहित बीमारी अथवा विकलांगता मे सम्बन्धित खर्चे देने के लिए,

(ख) निम्नलिखित मामलो में अंशदायी अथवा उस पर वास्तविक तौर पर आश्रित किसी व्यक्ति के

जहां अपेक्षित हो यात्रा खर्चों सहित उच्चतर शिक्षा का खर्चा वहन करने के लिये, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा पेशावर पाठ्यक्रम के लिये भारत से बाहर (विदेश में) शिक्षा के लिये, और

(2) हाई स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी मैडिकल इंजीनियरी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये, बशर्ते कि उस अध्ययन के पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो ।

(ग) अंशदायी की अपनी अथवा अपने बच्चों की, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस पर वास्तविक तौर पर आश्रित हो, की शादियों अथवा अन्य समारोहों से सम्बन्धित खर्चा वहन करना है जो प्रचलित रिवाज के उस उपयुक्त स्तर के मान पर अनिवार्य खर्चे देने होते हैं :—

बशर्ते कि अन्शदायी के सुपुत्र अथवा सुपुत्री के मामले में वास्तविक निर्भरता की शर्त लागू नहीं होगी :

और आगे बशर्ते कि अंशदायी के माता-पिता की अंत्येष्ठि क्रिया सम्बन्धित खर्चों को वहन करने के लिये अपेक्षित अग्रिम धन के मामले में वास्तविक निर्भरता की शर्त लागू नहीं होगी ।

(घ) (अंशदायी) को अपने सरकारी कर्त्तव्यों को पालन करने में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य अथवा करने के उद्देश्य से संबंधित उसके विरुद्ध लगाये गये किन्ही आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति को न्याय संगत सिद्ध करने के लिये अंशदायी द्वारा संस्थापित वैध कार्यवाहियों के खर्च वहन करने के लिये :

बशर्ते कि अंशदायी को इस धारा के अन्तर्गत अग्रिम धन ग्राह्य नहीं होगा, जो, किसी भी न्यायालय में या तो अपनी सरकारी ड्यूटी से असम्बद्ध किसी मामले के संबंध में अथवा किसी न्यासी के विरुद्ध जिसने उस पर सेवा की किन्हीं शर्तों या उस पर लगाये गये दंड से संबंधित कोई वैध कार्यवाही संथापित करता है ।

(ङ) अंशदायी को अपना बचाव खर्च वहन करने के लिये, जहां न्यासी द्वारा अंशदायी को किसी भी न्यायालय में निष्यासित किया जाता है, अथवा जहां अंशदायी अपने ऊपर लगाये गये किसी प्रकार के सरकारी कदाचार से संबंधित जांच पड़ताल में अपने आपको बचाने के लिये अंशदायी एक वकील को रखता है ।

(2) लिखित रूप में अभिलिखित विशेष कारणों के अलावा, किसी भी अंशदायी को उप-नियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक अग्रिम धन स्वीकृत न किया जाये अथवा जब तक किसी पिछले अग्रिम धन की अन्तिम किस्त चुकती न कर दी जाये ।

नोट :—(1) इस नियम के लिए, "वेतन" में महंगाई वेतन, जहां ग्राह्य है, सम्मिलित है ।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्वीकृत प्राधिकारी न्यासी मंडल का अवैतनिक सचिव होगा ।

12 **अग्रिम धनों की वसूली**—(1) (क) अग्रिम अदायगी की वसूली अंशदायी से उतनी समान मासिक किस्तों में की जायेगी, जितनी स्वीकृत प्राधिकारी निर्दिष्ट करें, परन्तु यह संख्या 12 से कम नहीं होगी, जब तक कि अंशदायी ऐस चयन नहीं करता और यह 24 से अधिक भी नहीं होगी ।

(ख) विशेष मामलों में, जहां नियम 11 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत अग्रिम धन की राशि अंशदायी के तीन माह के वेतन से अधिक हो जाये तो स्वीकृत प्राधिकारी किस्तों की संख्या 24 से अधिक भी निश्चित कर सकता है परन्तु किसी भी अवस्था में 36 से अधिक नहीं ।

(ग) कोई अंशदायी अपनी इच्छा पर एक माह में एक किस्त से अधिक भी दे सकता है ।

(घ) प्रत्येक किश्तों की संख्या पूरे रुपये होगी । इस प्रकार की किश्तों को निश्चित करने के लिये, यदि आवश्यक हो तो अग्रिम धन की राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

(2) अंशदानों की वसूली के लिये नियम (9) में प्रदान की गई विधि से वसूली की जायेगी और यह वसूली अग्रिम धन के पश्चात पहले अवसर से प्रारम्भ हो जायेगी, जब कि अंशदायी पूरे माह को वेतन प्राप्त करता है ।

(3) यदि अंशदायी को एक से अधिक अग्रिम धन दिया गया है तो वसूली के उद्देश्य के लिये प्रत्येक अग्रिम धन पृथक समझा जायेगा ।

(4) अंशदायी, जबकि वह जीवन-निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो अथवा औसत वतन अथवा एक माह अथवा 30 दिन की अवधि से कम के अर्जित अवकाश को छोड़कर किसी अन्य, जैसा भी मामला हो, अवकाश पर हो तो की सहमति के बिना वसूली नहीं की जायेगी ।

(5) (क) अग्रिम अदायगी के मूलधन की पूरे तौर से चुकती करने के पश्चात् तो उस पर ब्याज प्रत्येक माह की बकाया अवधि के लिये मूलधन के 1/5 प्रतिशत की दर से मूलधन के लेने तथा उसकी पूरे तौर से चुकती करने के मध्यावधि के लिये देना होगा।

बशर्ते कि उन अंशदायी को, जिसके जमा खातों में कोई धन नहीं है, उन्हें उस धन से स्वीकृत अग्रिम धनों पर ब्याज के तौर पर कोई अतिरिक्त किश्त उस धन में देना अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) मूलधन की पूरे तौर से चुकती करने के पश्चात् उसी माह में ब्याज साधारणतया एक ही किस्त में वसूल किया जायेगा, परन्तु यदि धारा (क) में उल्लिखित अवधि 20 माह से अधिक होती है और यदि अंशदायी ऐसा चाहता है तो ब्याज दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाये।

(ग) वसूली की प्रविधि उप नियम (2) में निर्धारित विधि के अनुसार होगी।

(घ) अदायगियां नियम 10 के उप-नियम (2) की धारा (4) में निर्धारित विधि के अनुसार निकटवर्ती रुपये के लगभग होगी।

(6) यदि किसी अंशदायी को अग्रिम धन स्वीकृत किया जाता है और वह उसे ले लेता है, और बाद में चुकती समाप्त करने से पूर्व यह रद्द कर दिया जाता है तो नियम 10 में दी गई ब्याज की दर सहित ली गई सारी अथवा बकाया राशि अंशदायी द्वारा तुरन्त धन में चुकती कर दी जाये, अथवा ऐसा करने में असमर्थ होने पर लेखा अधिकारी के आदेश से अंशदायी की परिलब्धियों में से कटौती द्वारा एक मुश्त किस्त में अथवा समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मासिक किश्तों में, जो 12 से अधिक न हो, वसूली की जाये तथा इस प्रकार के अग्रिम धन को स्वीकृत करने के लिये नियम 11 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत विशिष्ट कारण अपेक्षित है।

बशर्ते कि अंशदायियों को ब्याज देना अपेक्षित नहीं, जिनके खाते में जमा धन पर कोई ब्याज नहीं होता है।

(7) इस नियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां अंशदायी की निधि खाते में जमा होगी।

13 **अग्रिम धन का गलत उपयोग:**— (1) इन नियमों में निहित जहां अन्य बातों के साथ-साथ, यदि स्वीकृत प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि नियम 11 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम धन के रूप में ली गई राशि को, जिस उद्देश्य के लिये यह राशि संस्वीकृत की गई थी, के लिए उपयोग न कर किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग किया गया है। प्रस्तावित राशि नियम 10 के अन्तर्गत प्रदान की गई ब्याज की दर सहित अंशदायी द्वारा इस निधि में शीघ्र चुकती कर दी जायेगी अथवा ऐसा न कर सकने पर, यह अंशदायी की यदि वह अवकाश पर भी क्यों न हो, परिलब्धियों में से एक मुश्त में कटौती द्वारा वसूली के आदेश दिये जायेंगे।

(2) यदि लौटाई जाने वाली कुल राशि अंशदायी की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो, तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों का अर्धांश मासिक किस्तों में तब तक की जायेगी जब तक की सारी राशि उसके द्वारा लौटायी नहीं जाती।

14. **निधि से धन की निकासी.**—यह विशेष रूप से उल्लिखित शर्तों पर नियम 11 के उपनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिये, अंशदायी को 20 वर्षों की (भिन्न सेवावधि, यदि कोई है, सहित) सेवा के समाप्त होने के पश्चात् अथवा वार्धक्य निवर्तन पर उसकी निवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्षों के अन्दर, जो भी पहले हो किसी भी समय निधि में जमा उस खाते में पड़ी हुई राशि से निम्नलिखित एक अथवा अधिक उद्देश्यों के लिए अग्रिम धन मंजूर करने के लिये सक्षम द्वारा धन निकासी संस्वीकृत की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) अंशदायी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी भी बच्चे की जहां अपेक्षित हो, यात्रा खर्चों सहित निम्नलिखित मामलों में उच्चतर शिक्षा के खर्चे को वहन करने के लिये, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी व्यावसायिक अथवा पेशावर पाठ्यक्रम में शिक्षा के लिए, और

(2) हाई स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी मैडिकल, इंजीनियरी, अथवा विशिष्ठ पाठ्यक्रम के लिये,

बशर्ते कि अध्ययन के पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो;

(ख) अंशदायी के पुत्र अथवा पुत्री और यदि उसको कोई पुत्री न हो तो उस पर आश्रित किसी अन्य महिला रिश्तेदार की शादी से सम्बन्धित खर्चा वहन करने के लिये,

(ग) बीमारी से संबंधित खर्चा पूरा करने हेतु जिसमें जहां आवश्यक हो अंशदायी अथवा उस पर वास्तविक रूप से निर्भर रहने वाले किसी भी व्यक्ति का यात्रा-खर्चा भी शामिल है।

(घ) भू-खण्ड की कीमत सहित रहने के लिये घर बनाने तथा बना बनाया उचित घर प्राप्त करने हेतु या खासतौर से इसी अभिप्राय के लिये लिये गये किसी ऋण की बची हुई राशि वापिस करने के लिये, जो ऋण इस रुपया निकालने के आवेदन पत्र के प्राप्त होने की तारीख से पहले का हो पर न 12 मास से अधिक पुराना हो, या निर्माण किसी ऐसे मकान में परिवर्तन या परिवतन करने

के लिये जिसका अंशदायी स्वामी हो या जो उसने अब प्राप्त किया हो ।

(ङ) भू-खण्ड खरीदने के लिये या ऋण की कोई बची हुई राशि वापस अदा करने के लिये जो ऋणहै खासतौर से इसी उद्देश्य के लिये लिया गया हो परन्तु वह ऋण अन्तिम रूप से रुपया निकालने के इस आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 12 मास पूर्व का न हो ?

(च) धारा (ङ) के अन्तर्गत निकाले हुए रुपये से खरीदे हुए भू-खण्ड पर गृह निर्माण के लिये ।

टिप्पणी :—निर्माण आवास तथा नगर विकास विभाग की गृह निर्माण के लिये अग्रिम राशि योजना का लाभ यदि किसी अंशदायी से उठा लिया है या इस संबंध में उसे किसी अन्य राज्य सरकार से सहायता मिल चुकी हो तो उस दशा में वह धारा (घ) (ङ) (च) के अन्तर्गत दिये हुए उद्देश्य के लिये अन्तिम रूप से रुपये निकालनें का पात्र नहीं होगा और न हो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत लिये गये किसी ऋण की अदायगी के लिये अन्तिम रूप से रुपया निकालने का पात्र होगा ।

15. **रुपया निकालनें की शर्तें** (1) (क) नियम 14 में बताए गए एक अथवा एक से अधिक उद्देश्यों के लिए अंशदायी द्वारा किसी भी समय निकाली गई कोई भी रशि, निधि में उसके नाम पर कुल जमा या जमा राशि से आधी अथवा 6 मास के वेतन से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो ।

(ख) तथापि संस्वीकृत प्राधिकारी अंशदायी के नाम पर] जमा कुल राशि के 3/4 भाग तक की रकम निकालने के लिए संस्वीकृतदे सकता है परन्तु उस दशा में उसे इन बातों पर उचित ध्यान देना होगा ।

(1) उद्देश्य जिसके लिये रकम निकाली जा रही है ।

(2) अंशदायी की हैसियत ।

(3) निधि में उसके नाम पर जमा कुल राशि ।

(2) अंशदायी जिसे निधि के उप-नियम (1) के अन्तर्गत रुपया निकालने की अनुमति दी गई हो वह संस्वीकृत प्राधिकारी का, उचित अवधि के अन्दर, जो भी उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी, इस बात का समाधान करेगा कि रुपया उसी उद्देश्य पर काम में लाया गया है जिसके लिए यह निकाला गया था और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह सारी रकम जो इस प्रकार निकाली गई है या इस रकम का वह भाग जो अपेक्षित उद्देश्य पर खर्च न किया गया हो जिसके लिये यह रकम निकाली गई थी, एक मुश्त ब्याज सहित, जिसकी दर नियम 10 के अनुसार निर्धारित की जायेगी, तुरन्त अंशदायी द्वारा निधि में जमा कर दी जाएगी और यदि रकम का इस प्रकार से भुगतान न किया गया तो संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया जाएगा कि यह रकम अंशदायी की परिलब्धियों में से ऐसी मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में वसूल कर ली जाए जितनी भी नियासी मण्डल द्वारा निर्धारित की जाए ।

(3) उप-नियम (2) में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अंशदायी को निधि में जमा अपनी राशि पर कोई ब्याज न मिलता हो, और उसे उसी उप-नियम के अन्तर्गत कोई राशि लौटाते समय उस पर ब्याज देना पड़े ।

16. **अग्रिम राशि को निकासियों में परिवर्तित करना**—यदि किसी अंशदायी ने नियम 11 के अन्तर्गत नियम 14 में व्यक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य के लिये यदि कोई राशि पहले ही निकाली है अथवा निकालना चाहता है तो उस दशा में संस्वीकृत अधिकारों के जरिए लेखा अधिकारी के नाम लिखित रूप से आवेदन करने पर अंशदायी के विवेक पर, निकाली गई राशि का बचा हुआ भाग अन्तिम रूप से निकाली जाने वाली राशि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु ऐसा करने के लिये उसे नियम 14 और 15 में दी हुई शर्तों को पूरा करना होगा ।

17. **निधि से संचित राशि का अन्तिम रूप से निकालना**—जब कोई अंशदायी सेवा से जोड़ दिया जाता है तो निधि में उसके नाम पर जमा राशि उसे दे दी जाएगी :

बशर्ते अंशदायी जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और उसके बाद उसे फिर से सेवा में ले लिया है, उस दशा में यदि न्यासी मंडल द्वारा यह अपेक्षित हो, तो इस नियम के अनुसरण में उसे निधि में से भुगतान की गई रकम नियम 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार बताए गए तरीके से, नियम 10 में निर्धारित ब्याज की दर से, ब्याज सहित वापिस करनी होगी तथा इस प्रकार जो रकम अदा की जाएगी वह निधि में उसके नाम पर जमा कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—एक अंशदायी जिसे इन्कार की गई छुट्टी स्वीकृत की गई है वह अपनी अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति होने की तारीख से अथवा बढ़ाई गई सेवावधि के समाप्त होने की तारीख से सेवा से हट गया समझा जाएगा ।

18. **अंशदायी की सेवा निवृत्ति**.—जब कोई अंशदायी

(क) सेवा निवृत्ति से पहले छुट्टी पर चला गया हो ।

(ख) जब कोई अंशदायी छुट्टी पर हो और उसे उस समय सेवा निवृत होने की अनुमति दे दी गई हो या वह किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा

और आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि, इस संबंध में उसके द्वारा लेखा अधिकारी के नाम आवेदन करने पर अंशदायी को देय होगी बशर्ते वह अंशदायी यदि अपने कार्य पर वापिस आ जाता है, और यदि बोर्ड अथवा न्यास द्वारा अपेक्षित हो, निधि में अपने खाते में जमा करने के लिये वह इस नियम के अनुसरण में उस निधि में से भुगतान की गई रकम सारी या उसका कोई भाग, नियम 10 में निर्धारित ब्याज की दर से ब्याज सहित नकद अथवा बन्ध पत्रों में अथवा कुछ नकद और कुछ बन्ध पत्रों में, किश्तों द्वारा या उसकी प्रतिलब्धियों में से वसूल कर लिया जाएगा या नियम 11 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत जिसके लिये विशेष कारण देना आवश्यक है, इस प्रकार का अग्रिम धन स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताए गए तरीके से यह धन वसूल कर लिया जाएगा ।

19. **अंशदायी की मृत्यु होने पर क्रियाविधि :** — निधि में अंशदायी के खाते में जमा राशि उसे देय होने से पूर्व, भुगतान किए जाने से पूर्व, अंशदायी अपने की मृत्यु हो जाने पर ।

(1) जब एक अंशदायी अपने पीछे परिवार छोड़ जाता है :—

(क) नियम 5 में की गई व्यवस्था के अनुसार यदि अंशदायी द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में यदि कोई नामांकन पत्र किया गया है तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या इस रकम का कोई भाग जिससे मनोनीत व्यक्ति का सम्बन्ध हो, उन मनोनीत व्यक्तियों को नामांकन पत्र में व्यक्त अनुपात में देय होगी ।

(ख) यदि अंशदायी द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में इस प्रकार का कोई नामांकन पत्र नहीं किया गया हो या इस प्रकार के नामांकन पत्र का संबंध निधि में उस के नाम पर जमा राशि के केवल किसी हिस्से से ही है तो वह सारी राशि या उस राशि का कोई अंश जिसके संबंध में कोई नामांकन न किया गया हो, जैसा भी मामला हो, तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का ख्याल न करते हुए जो उसके परिवार के सदस्य न हो यह राशि उसके परिवार के सदस्यो को बराबर अनुपात में देय होगी ।

बशर्ते कोई भी हिस्सा देय न होगा :—

(1) पुत्र जो बालिग हो गये हों ।

(2) स्वर्गवासी पुत्र के पुत्रों को जो बालिग हो गए हो ।

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों ।

(4) स्वर्गवासी पुत्र की पुत्रियां जिनके पति जीवित हों ।

यदि (1), (2), (3) और (4) में व्यक्त व्यक्तियों को छोड़कर परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हो ।

बशर्ते आगे उस स्वर्गवासी पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चा या बच्चे दोनों आपस में केवल उस हिस्से का बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगे जो उस पुत्र को अपने जीवित होते अंशदायी से प्राप्त होता तथा उसे प्रथम उपबन्ध के मद (1) की व्यवस्थाओं से छूट मिली हो ।

(2) जब कोई अंशदायी अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता और यदि नियम 5 की व्यवस्था के अनुसार किया गया नामांकन पत्र यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में है तो निधि में उसके खाते में जमा राशि अथवा उसका कोई भाग जिसका नामांकन से सम्बन्ध हो वह मनोनीत व्यक्ति या मनोनीत व्यक्तियों को उसी अनुपात में देय होगा जैसा नामांकन पत्र में व्यक्त किया गया हो ।

20. **निधि में जमा राशि के भुगतान का ढंग.**—(1) जब निधि में अंशदायी के खाते में जमा राशि उसे देय हो जाती है तब इसके लिए लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस राशि का भुगतान करने का कार्य लेखा अधिकारी का होगा जैसा कि उप-नियम (3) में व्यवस्था की गई है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अन्तर्गत किसी राशि का भुगतान किया जाना है, वह पागल है तथा जिसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागल अधिनियम 1912 (1912 का 4) के अन्तर्गत कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो उस राशि का भुगतान इस प्रबन्धक को किया जायेगा और न कि उस पागल व्यक्ति को ।

(3) (क) कोई भी जो इस नियम के अन्तर्गत भुगतान का दावा करना चाहे उसे इस सम्बन्ध में लेखा अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र भेजना होगा ।

(ख) भुगतान केवल भारत में ही होगा और वे व्यक्ति जिन्हें ये राशि देय होगी, वे भारत में भुगतान प्राप्त करने का अपना प्रबन्ध स्वयं करेंगे ।

टिप्पणी :—जब किसी अंशदायी के खाते में जमा राशि नियम 17, 18 या 19 के अन्तर्गत देय हो गई हो तो उस दशा में लेखा अधिकारी अंशदायी के खाते में जमा राशि के उस हिस्से के तुरन्त भुगतान का प्रबन्ध करेगा जिसके विषय में कोई झगड़ा या संदेह न हो और इसके बाद बची हुई राशि यथा सम्भव शीघ्र समायोजित की जाये ।

21. **कुछ मामलों में राशि का भविष्य निधि में हस्तान्तरण**:—यदि कोई कर्मचारी, जो पहले किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व प्राप्त निगम निकाय के किसी भविष्य निधि का अंशदायी था, और जिसे भविष्य निधि के लाभ मे शामिल किया गया है, उसके अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज सहित नियोक्ता के योगदान सहित, यदि कोई हो तो, राशि को उस निकाय की सलाह मशविरा से भविष्य निधि में उसके खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी ।

22. **व्यक्तिगत मामलों में इस नियमों के उपबन्धों का छूट (रियायत)** :—जहां न्यासी मंडल इस बात से संतुष्ट हो कि इनमें से किन्ही नियमों के निष्पादन (कार्यान्वित) करने से अंशदायी के लिये अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है, तथापि इनके साथ-साथ इस प्रकार के अंशदायी के मामले से निपटने के लिये इन नियमों में कुछ भी निहित हो, वह इसे इस विधि से निपटाये जो इसके लिये न्यायसंगत और सामयिक दिखाई दे ।

23. **अंशदायी का लेखा नम्बर**.—जब अंशदायी की अदायगी परिलब्धियों से कटौती द्वारा अथवा कैश (रोकड़) में की जा रही हो, तो अंशदायी को भविष्य निधि के लेखे का नम्बर (संख्या) लिखना होगा, जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा और नम्बर (संख्या) में किसी भी परिवर्तन को लेखा अधिकारी द्वारा उसी प्रकार से अंशदायी को सूचित करना होगा ।

24. **लेखे का वार्षिक विवरण अंशदायी को प्रेषित किया जाना** :—(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद लेखा अधिकारी को यथाशीघ्र प्रत्येक अंशदायी को भविष्य निधि में उसके खाते मे वर्ष की पहली अप्रेल को अर्थ-शेष, वर्ष की 31 मार्च को उसके खाते में जमा ब्याज की कुल राशि तथा उस तारीख को अन्तशेष दर्शाते हुए लेखे का विवरण प्रेषित करना होगा ।

(ख) लेखा अधिकारी को लेखा-विवरण के साथ यह भी पूछना चाहिए कि क्या अंशदायी :—

(1) नियम 5 के अन्तर्गत किसी नामजदगी में कोई परिवर्तन (हेरफेर) करना चाहता है;

(2) नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रथम उपबन्ध के अन्तर्गत उन मामलो मे जहां अंशदायी ने अपने परिवार के किसी सदस्य के उपलक्ष मे कोई नामजदगी नही की थी, क्या उसने परिवार बना लिया है ।

(2) अंशदायियों को वार्षिक विवरण की परिशुद्धता से अपने आपको संतुष्ट करना चाहिए और अशुद्धियों को लेखाधिकारी के नोटिस में विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर लाना होगा ।

(3) यदि अंशदायी द्वारा यह अपेक्षित हो तो लेखा अधिकारी को वर्ष में एक बार, परन्तु एक बार से अधिक नही, वर्ष के आखरी माह में, जिसके लिए उसका खाता खोला गया है, भविष्य निधि में उसके खाते में जमा कुल राशि अंशदायी को सूचित करनी होगी ।

25. **व्याख्या (अर्थ-निर्णय)** :—इन नियमों के अर्थ-निर्णय से सम्बन्धित यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसके निर्माण हेतु इसे न्यासी मंडल को भेजा जायेगा ।

26. **निकटतम रुपये की इकाई को लगभग**—प्रत्येक मामले में संबंधित धन-राशि, अन्य निधियों से हस्तांतरित संचित पूंजी और निधियों मे अस्थायी रूप से लिये गये अग्रिम धन पर ब्याज निकटतम सारे रुपये के लगभग होगा ।

अनुसूची

[नियम 5(3)]

नामजदगी के प्रारूप

1. जब अंशदायी एक परिवार रखता है और उसमें से एक सदस्य नामजद करना चाहता है ।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) नियम 1971 के नियम 2 में जैसा परिभाषित है उसके अनुसार उस धन का जिसका भुगतान करना है अथवा जिसका देय होते हुए भी भुगतान नहीं किया गया है, से पूर्व मेरी मृत्यु होने पर मेरे नाम में जमा या उस राशि को प्राप्त करने के लिए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामजद करता हूं जो मेरे परिवार का ही एक सदस्य है ।

नामजदगी का नाम और पता	अंशदायी से सम्बन्ध	आयु	किन-किन संयोगिक घटनाओं में नामजदगी अवैध होगी	मनोनीत व्यक्ति को अंशदायी से पूर्व मृत्यु होने पर व्यक्ति/व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता और संबंध जिसको नामजदगी हक मिलेगा ।
1	2	3	4	5

आज दिनांक.....दिन.....19

स्थान.....

अंशदायी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1.....

2.....

2.जब अंशदायी एक परिवार रखता है और उसमें से एक से अधिक सदस्य नामजद करना चाहता है ।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1971 के नियम 2 में जैसा परिभाषित है, उस के अनुसार उस धन जिसका भुगतान करना है अथवा जिसका देय होते हुए भी भुगतान नहीं किया गया है, से पूर्व मेरी मृत्यु होने पर मेरे नाम में जमा उस राशि को प्राप्त करने के लिये मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामजद करता हूं जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं और कथित व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे निर्दिष्ट तरीके से उक्त धन का वितरण करने का निदेश करता हूं :—

नामजदगी का नाम व पता	अंशदायी से सम्बन्ध	आयु	जमा निधि में से वह भाग अथवा राशि जो प्रत्येक को भुगतान किया जाना है ।	संयोगवश घटनाएं जिनके कारण नामजदगी अवैध होगी	मनोनीत व्यक्ति को अंशदायी से पूर्व मृत्यु होने पर व्यक्ति/व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्बन्ध जिसको नामजदगी का हक मिलेगा ।
1	2	3	4	5	6

आज दिनांक.....दिन..... 19

स्थान..... .....

अंशदायी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1.....

2.....

टिप्पणी :— यह कालम इस प्रकार भरा जाये जिससे अंशदायी के नाम से निधि में उस समय जमा समस्त धन शामिल किया जा सके ।

3. जब अंशदायी का कोई परिवार नहीं है और किसी एक व्यक्ति को नामजद करना चाहता है ।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) के नियम 1971 के नियम 2 में जैसा परिभाषित है उसके अनुसार मेरा परिवार न होने पर उस धन का जिसका भुगतान करना है अथवा जिसका देय होते हुए भी भुगतान नहीं किया गया है, उससे पूर्व मेरी मृत्यु होने पर निधि में मेरे नाम जमा उस राशि को प्राप्त करने के लिए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामजद करता हूं —

नामजदगी का नाम और पता	अंशदायी से सम्बन्ध	आयु	संयोगवश घटनाएं जिनके कारण नामजदगी अवैध मानी जायेगी।	मनोनीत व्यक्ति को अंशदायी से पूर्व मृत्यु होने पर व्यक्ति/व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता और सबंध जिसको नामजदगी हक मिलेगा।
1	2	3	4	5

आज दिनांक.......................................दिन...........................19

स्थान......................

अंशदायी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1......................

2......................

टिप्पणी :—जब अंशदायी का कोई परिवार न हो, और नामजदगी कर देता है, ऐसी स्थिति में उसे इस कालम में विशेष रूप से स्पष्ट करना होगा कि उसके परिवार अधिग्रहण करने पर नामजद अवैध हो जायेगा।

4. जब अंशदायी कोई परिवार नहीं रखता है और एक से अधिक व्यक्ति नामजद करना चाहता है।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली 1971 के नियम 2 में जैसा परिभाषित है उसके अनुसार मेरा परिवार न होने पर उस धन का जिसका भुगतान करना है अथवा जिसका देय होते हुए भी भुगतान नहीं किया गया है, से पूर्व मेरी मृत्यु होने पर, मेरे नाम में जमा राशि को प्राप्त करने के लिये मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामजद करता हूं और कथित व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे निर्दिष्ट तरीके से उक्त धन का वितरण करने का निदेश करता हूं।

नामजदगी का नाम व पता	अंशदायी के साथ सम्बन्ध	आयु	जमा निधि से वह भाग अथवा राशि जो प्रत्येक को भुगतान किया जाना है	संयोगवश घटनाए जिनके कारण नामजदगी अवैध होगी	मनोनीत व्यक्ति की अंशदायी से पूर्व मृत्यु होने पर व्यक्ति/व्यक्तियों, यदि कोई हो, का नाम, पता और संबंध जिसको नामजदगी हक मिलेगा।
1	2	3	4	5	6

आज दिनांक.......................................दिन...........................19

स्थान......................

अंशदायी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1......................

2......................

टिप्पणी :— यह कालम इस प्रकार भरा जाये जिससे अंशदायी के नाम से निधि में उस समय जमा समस्त धन राशि शामिल की जा सके।

टिप्पणी :—जब अंशदायी का कोई परिवार न हो और नामजदगी कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस कालम में विशेष रूप से स्पष्ट करना होगा कि उसके परिवार अधिग्रहण करने पर नामजद अवैध हो जाएगा।

[सं०एफ० 6—4/70—सी०ए०— आई-5]

(ह्व०) अपठनीय, अवर सचिव।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 16th March 1972

G.S.R. 411.—*In exercise of the powers conferred by* section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. These rules may be called the Indian Telegraph (First Amendment) Rules, 1972.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 114, the following shall be inserted at the end, namely:—

"The maximum number of such addresses in a greetings telegram shall be limited to five."

3. For rule 130 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"130. *Acceptance and delivery under the Phonogram System.*—Greetings telegram shall be accepted over telephone for onward transmission, but shall not be addressed to telephone numbers nor be delivered by telephone."

[No. 70-1/72/T-2]

U. R. SAINI, Sahayak Mahanideshak (Tar).

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 मार्च 1972

सा० का० नि० 411.—भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए इतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम 1972 होगा।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जो इसके बाद उक्त कहे जायेंगे) के नियम 114 में निम्नलिखित को अन्त में जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

"बधाई तारों में पतों की अधिकतम संख्या पांच तक सीमित होगी"

3. उक्त नियमों के नियम 130 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा. अर्थात् :—

"130. फोनतार प्रणाली के अन्तर्गत तार का स्वीकार तथा वितरण किया जाना:—बधाई तार आगे भेजे जाने के लिए टेलीफोन के द्वारा स्वीकार किये जायेंगे लेकिन उनका पता टेलीफोन नम्बर नहीं होना चाहिये और नहीं उनका टेलीफोन पर वितरण किया जायेगा"।

[सं० 70-1/72-टी-2]

उ० रा० सैनी,

सहायक महानिदेशक (तार)।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi, the 18th March 1972

G.S.R. 412.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, Department of Company Affairs & Insurance, Notification No. G.S.R. 72 dated the 1st January, 1966 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of Hitachi Shipbuilding & Engineering Company Ltd., (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the year 1971 the company submits to the appropriate Registrar of Companies in India in triplicate:—

(a) a statement of its actual receipts and payments in India,

(b) and a cumulative receipts and payments statement indicating the total expenditure incurred on the contract.

The above statements shall be duly certified by two directors of the company and by the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Companies Act, 1956.

[No. F. 14(1)/CL-VI/72]

By order of the Company Law Board,

S. S. SINGH, Under Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली 18 मार्च, 1972

सा० का० नि० 412.—भारत सरकार वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य और बीमा विभाग) अधिसूचना सा०का० नि० 72 दिनांक 1 जनवरी, 1966 और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) के आंशिक संशोधन अधिसूचना एस० आर० ओ० 3216 दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 (इसके बाद अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया जाए) के साथ पठित कम्पनी

अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) की शर्तें द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि मैसर्स हिटैची शिप बिल्डिंग ऐंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद कम्पनी निर्दिष्ट की जाए) के मामले में एक विदेशी कम्पनी होने से कथित अधिनियम की धारा 594 उपधारा (1) के खण्ड (क) की आवश्यकता जो उनके प्रार्थना-पत्र में आपरिवर्तित, एक विदेशी कम्पनी के लिए अधिसूचना द्वारा निम्न आगे के अपवाद और तरमीम अधीन लागू होगी नामशः :—

उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के के उपबन्धों का, अगर 1971 के सम्बन्ध में कम्पनी सम्बन्धित कम्पनियों के रजिस्ट्रारों को तीन प्रतियां प्रस्तुत करती है तो पूर्ण पालन समझा जाएगा :—

(क) भारत में उसकी वास्तविक प्राप्ति और देयता का विवरण

(ख) कुल व्यय जो ठेके पर किया गया है सहित संचित प्राप्ति और देयताओं का विवरण

उपरोक्त विवरण कम्पनी के दो निदेशकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण प्रमाणित होगा।

[संख्या एफ० 14(1)/सी०एल० VII/72]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश द्वारा,

एस० एस० सिंह,

अवर सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th February 1972

G.S.R. 413.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Industrial Development (Joint Director and Editor in the Rural Industries Planning Committee) Recruitment Rules, 1970, namely:—

(1) These rules may be called the Department of Industrial Development (Joint and Editor in the Rural Industries Planning Committee) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Department of Industrial Development (Joint Director and Editor in the Rural Industries Planning Committee) Recruitment Rules, 1970, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Power to relax.*—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts".

[No. 3/5/69-E.I.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972.

जी० एस० आर० 413.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा औद्योगिक विकास विभाग (ग्रामीण उद्योग योजना समिति के संयुक्त निदेशक और सपादक) भर्ती नियम, 1970 में और आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(i) ये नियम औद्योगिक विकास विभाग (ग्रामीण उद्योग योजना, समिति में संयुक्त निदेशक और सपादक) भर्ती (संशोधन नियम 1972 कहलायेंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे

2 औद्योगिक विकास विभाग (ग्रामीण उद्योग योजना समिति में संयुक्त निदेशक और संपादक) भर्ती नियम 1970 में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात्:—

6 **छूट देने की शक्ति**— केन्द्रीय सरकार का मत है कि जहां ऐसा करना आवश्यक अथवा युक्ति संगत है, वहां आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी भी उपबंधों का किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा स्थानों अथवा पदों के मामले में छूट दी जा सकती है।"

[फा० 3/5/69-ई० आई०]

New Delhi, the 22nd February 1972

G.S.R. 414—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazetted) Posts] Recruitment Rules, 1968, namely:—

1 (1) These rules may be called the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazeted) Posts] Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Class I and II (Gazetted) Posts] Recruitment Rules, 1968, under the heading "II. Trade Marks Registery",

(i) against serial number 3 relating to the posts of "Assistant Registrar of Trade Marks", in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"*Promotion*:

(i) Examiner of Trade Marks, and

(ii) Administrative Officer.

with 5 years' service in one or more of the grades";

(ii) against serial number 4 relating to the post of "Examiner of Trade Marks", in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"*Promotion*:

(i) Assistant Examiner of Trade Marks,

(ii) Superintendent,

(iii) Investigator in the Controller-General's Office,

(iv) Personal Assistant to Controller-General.

with 5 years' service in one or more of the grades";

(iii) against serial number 5 relating to the post of "Administrative Officer",

(a) in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900";

(b) in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"*Promotion*:

Examiner of Trade Marks with 2 years' service in the grade".

[No. 9(2)/69-E. I.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 414.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतदद्वारा पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स के महानियंत्रक का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2 (राजपत्रित) पद] भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2 (राजपत्रित) पद] भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क्स का कार्यालय [श्रेणी 1 तथा 2 (राजपत्रित) पद] भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में "2 ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री शीर्षक के अन्तर्गत :

(1) "सहायक रजिस्ट्रार; ट्रेड मार्क्स, के पद से संबंधित क्रम सं० 3 के सामने, कालम 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति :

(1) ट्रेड मार्क्स परीक्षक, तथा

(2) प्रशासनिक अधिकारी

एक या एक से अधिक ग्रेडों में 5 वर्ष तक सेवा की हो,

(2) "परीक्षक, ट्रेड मार्क्स के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 4 के सामने, कालम 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति :

(1) सहायक परीक्षक, ट्रेड मार्क्स

(2) अधीक्षक,

(3) महानियंत्रक के कार्यालय में अन्वेषक,

(4) महानियंत्रक के वैयक्तिक सहायक के साथ-साथ एक या एक से अधिक के ग्रेडों में 5 वर्ष तक सेवा की हो;"

(3) "प्रशासनिक अधिकारी" के पद से सबन्धित क्रम सं० 5 के सामने,

(क) कालम 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"350—25—500—30—590—द०रो०—30—800—द० रो०—30—830—35—900 रु०;"

(ख) कालम 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात :—

"पदोन्नति :

परीक्षक, ट्रेड मार्क्स के साथ-साथ इस ग्रेड में 2 वर्ष तक सेवा की हो।

[सं० 9(2)/69-ई० I.]

जी० रामनाथन,

अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

New Delhi, the 3rd March 1972

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 33 dated the 1st January, 1964, namely:—

In the said notification—

(i) under the heading 'Chairman', for the existing item "1. Shri D. P. Anand", the item "1 Shri Jasjit Singh" shall be substituted;

(ii) under the heading "Member", the existing item "5 .Shri Jasjit Singh" shall be omitted.

[No. F. 34/19/63-Ad.I(Vol.II).]

S. K. MITAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

मुख्यालय स्थापन

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1972

सा० का० नि० 415.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 1 जनवरी, 1964 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 33 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(i) "अध्यक्ष शीर्षक के नीचे, विद्यमान मद—

"1. श्री डी० पी० आनन्द" के स्थान पर मद "1. श्री जसजीत सिंह" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(ii) "सदस्य" शीर्षक के नीचे, विद्यमान मद "5. श्री जसजीत सिंह लुप्त" कर दी जाएगी ।

[सं० फा० 34/19/63-ए० डी० 1(जिल्द II)]

ए० के० मित्तल,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1972

G.S.R. 416.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 46/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, namely:

In the Table annexed to the said notification, for the existing entry in column (3) against serial No. 7, the following entry shall be substituted, namely:

"Aluminium pipes having outside diameter of

(i) 5.08 centimetres, 7.62 centimetres, 10.16 centimetres and wall thickness of 1.27 millimetres,

(ii) 12.70 centimetres and wall thickness of 1.32 millimetres,

(iii) 15.24 centimetres and wall thickness of 1.47 millimetres."

[No. 115/72.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रल 1972

सा० का० नि० 416—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मार्च, 1970 की अधिसूचना सं० 46/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 7 के सामने स्तम्भ (3) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"ऐल्यूमिनियम नल जिनके बाह्य व्यास निम्न प्रकार हैं

(i) 5.08 सेंटीमीटर,
7.62 सेंटीमीटर,
10.16 सेंटीमीटर और
1.27 मिलीमीटर भित्ति मोटाई,

(ii) 12.70 सेंटीमीटर और
1.32 मिलीमीटर भित्ति मोटाई,

(iii) 15.24 सेंटीमीटर और
1.47 मिलीमीटर भित्ति मोटाई ।"

[सं० 115/72]

एस० के० घोषाल,

अवर सचिव भारत सरकार ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1972

G.S.R. 417.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 173-N, in sub-rule (1), for the words "In relation to excisable goods covered by this Chapter", the words and figures "In relation to such excisable goods as are covered by this Chapter and are notified under rule 139" shall be substituted.

[No. 110/72.]

S. K. DHAR, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

सा०का०नि० 417.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क छठा संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 173-ङ में, उपनियम (1) में, "इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क लगाने योग्य माल के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे उत्पाद-शुल्क लगाने योग्य माल के संबंध में जो इस अध्याय के अन्तर्गत आते हों और नियम 139 के अधीन अधिसूचित किए गए हों" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 110/72]

एस० के० धर, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1972

G.S.R. 418.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/68-Central Excises, dated the 23rd March, 1968, the Central Government hereby fixes for,

(i) rubber insulated cables and flexible cords,
(ii) PVC insulated cables and flexible cords,
(iii) power cables,
(iv) PVC insulated automobile cables,
(v) insulated copper winding wires, and
(vi) insulated aluminium winding wires,

specified in column 2 of Table A, Table B, Table C Table D, Table E and Table F, respectively hereto appended and chargeable with duty *ad valorem* under Item No. 33B of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entry in column 3 of the respective Table aforesaid:

Provided that the tariff value for un-insulated copper wires (whether single or stranded or bunched) having a sectional area of not less than 3,2429 square millimetres and chargeable with duty and valorem under Item No. 33B of the said Schedule shall be Rs. 22.50 per kilogram.

2. The tariff value for A.A.C. and A.C.S.R., that is to say, all aluminium conductors and aluminium conductors steel reinforced, chargeabl ewith duty *ad-valorem* under Item No. 33B of the said Schedule, shall be rupees 8.60 and rupees 7.50 per kilogram respectively.

3. Nothing contained in this notification shall apply to an electric wire and cable manufactured according to any special specification given by a purchaser.

TABLE A

Rubber Insulated Cables and Flexible Cords

S. No.	Description	Tariff Value in Rupees per metre
1	2	3
	Conductor size in Metric System	
	Nominal area in square millimetres	Wire and Strand. No./mm.
	2(a)	2(b)
	ALUMINIUM CONDUCTOR	
1.	Single core, taped or untaped, Braided and compounded (250-440 V).	
	1·50	1/1·40	0·22
	2·50	1/1·80	0·26
	4·00	1/2·24	0·32
	6·00	1/2·80	0·39
	10·00	1/3·55	0·58
	16·00	7/1·70	0·85
	25·00	7/2·24	1·24
	35·00	7/2·50	1·57
	50·00	7/3·00	2·05
	50·00	19/1·80	2·40
2.	Single Core, taped or untaped Braided and compounded (650-1100 V).		
	1·50	1/1·40	0·32
	2·50	1/1·80	0·36
	4·00	1/2·24	0·46
	6·00	1/2·80	0·56
	10·00	1/3·55	0·75
	16·00	7/1·70	1·01
	25·00	7/2·24	1·42
	35·00	7/2·50	1·76
	50·00	7/3·00	2·38
	50·00	19/1·80	2·81
	70·00	19/2·24	3·63
	95·00	19/2·50	4·28
	120·00	37/2·06	5·43
	150·00	37/2·24	6·22
	185·00	37/2·50	7·58
	225·00	37/2·80	9·04
	240·00	37/3·00	10·12
	300·00	61/2·50	11·59
	400·00	61/3·00	15·70
	500·00	91/2·65	17·82
	625·00	91/3·00	22·60

1	2(a)	2(b)	3
3. Single Core, touch rubber Sheathed (250—440 V).			
	1·50	1/1·40	0·31
	2·50	1/1·80	0·37
	4·00	1/2·24	0·43
	6·00	1/2·80	0·54
	10·00	1/3·55	0·78
	16·00	7/1·70	1·12
	25·00	7/2·24	2·09
	35·00	7/2·50	2·47
	50·00	7/3·00	2·93
4. Flat Twin tough rubber sheathed (250—440 V).			
	1·50	1/1·40	0·52
	2·50	1/1·80	0·66
	4·00	1/2·24	0·76
	6·00	1/2·80	0·99
	10·00	1/3·55	1·46
	16·00	7/1·70	2·58
	25·00	7/2·24	3·83
	35·00	7/2·50	4·84
	50·00	7/3·00	6·19
5. Flat, 3 Core, touch rubber sheathed (250—440 V).			
	1·50	1/1·40	0·85
	2·50	1/1·80	1 03
	4·00	1/2·24	1·30
	6·00	1/2·80	1·57
	10·00	1/3·55	2·67
	16·00	7/1·70	3·56
6. Twin Flat, tough rubber sheathed with E. C. C. (250—440 V).			
	1·50	1/1·40	0·64
	2·50	1/1·80	0·80
	4·00	1/2·24	1·03
	6·00	1/2·80	1·24
	10·00	1/3·55	1·91
	16·00	7/1·70	2·83
7. Single Core, Weather Proof (250-440 V).			
	1·50	1/1·40	0·33
	2·50	1/1·80	0·38
	4·00	1/2·24	0·48
	6·00	1/2·80	0·58
	10·00	1/3·55	0·80
	16·00	7/1·70	1·13
	25·00	7/2·24	1·64
	35·00	7/2·50	1·98
	50·00	7/3·00	2·50

1	2(a)	2(b)	3
8. Flat Twin, Weather Proof (250-440V.)			
	1·50	1/1·40	0·64
	2·50	1/1·80	0·75
	4·00	1/2·24	0·93
	6·00	1/2·80	1·18
	10·00	1/3·55	1·67
	16·00	7/1·70	2·27
	25·00	7/2·24	3·17
	35·00	7/2·50	3·87
	50·00	7/3·00	5·00
9. Single Core, Vir insulated, taped, Braided and Weather Proof compounded Cable (650-1100 V).			
	1·50	1/1·40	0·51
	2·50	1/1·80	0·58
	4·00	1/2·24	0·71
	6·00	1/2·80	0·81
	10·00	1/3·55	1·00
	16·00	7/1·70	1·35
	25·00	7/2·24	1·81
	35·00	7/2·50	2·18
	50·00	7/3·00	2·82
	70·00	19/2·24	4·22
	95·00	19/2·05	5·91
	120·00	37/2·06	6·31
	150·00	37/2·24	6·98
	185·00	37/2·50	8·44
	225·00	37/2·80	9·96
	240·00	37/3·00	11·20
	300·00	61/2·50	12·61
10. Flat Twin, Vir insulated, taped, Braided and Weather Proof compounded cable (650-1100 V).			
	1·50	1/1·40	0·93
	2·50	1/1·80	1·03
	4·00	1/2·24	1·38
	6·00	1/2·80	1·59
	10·00	1/3·55	1·97
	16·00	7/1·70	2·56
	25·00	7/2·24	3·46
	35·00	7/2·50	4·31
	50·00	7/3·00	5·40
11. Single Core, Vir insulated and tough rubber sheathed cable (650-1100 V).			
	1·50	1/1·40	0·55
	2·50	1/1·80	0·63
	4·00	1/2·24	0·67
	6·00	1/2·80	0·85
	10·00	1/3·55	1·02
	16·00	7/1·70	1·32
	25·00	7/2·24	2·37
	35·00	7/2·50	2·58
	50·00	7/3·00	3·20
	70·00	19/2·24	4·46

1	2(a)	2(b)	3
	COPPER CONDUCTOR		
12.	Twin, T.R.S.Flexible(250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·36
	0·75	24/0·20	1·52
	1·00	32/0·20	1·71
	1·50	48/0·20	2·15
	2·50	80/0·20	3·22
	4·00	128/0·20	4·72
13.	3 Core, T.R.S. Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·60
	0·75	24/0·20	1·88
	1·00	32/0·20	2·20
	1·50	48/0·20	2·98
	2·50	80/0·20	4·32
	4·00	128/0·20	6·45
14.	4 Core, T.R.S. Flexible (250-440V).		
	0·50	16/0·20	2·10
	0·75	24/0·20	2·43
	1·00	32/0·20	2·82
	1·50	48/0·20	3·82
	2·50	80/0·20	5·60
	4·00	128/0·20	8·45
15.	Twin Circular, Unkinkable, Domestic Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·52
	0·75	24/0·20	1·82
	1·00	32/0·20	1·95
	1·50	48/0·20	2·57
	2·50	80/0·20	3·25
	4·00	128/0·20	4·30
16.	3 Core, Circular, Unkinkable, Domestic Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·88
	0·75	24/0·20	2·18
	1·00	32/0·20	2·44
	1·50	48/0·20	3·07
	2·50	80/0·20	4·06
	4·00	128/0·20	5·57
17.	Twin Twisted Glace Cotton Braided Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	0·84
	0·75	24/0·20	0·98
	1·00	32/0·20	1·13
	1·50	48/0·20	1·58
	2·50	80/0·20	2·18
	4·00	128/0·20	3·09
18.	3 Core Twisted Glace Cotton Braided Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·21
	0·75	24/0·20	1. 50
	1·00	32/0·20	1·71
	1·50	48/0·20	2·25
	2·50	80/0·20	3·13
	4·00	128/0·20	4·44
19.	Twin Circular Braided and Compounded Workshop Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	0·88
	0·75	24/0·20	1·06
	1·00	32/0·20	1·19
	1·50	48/0·20	1·74
	2·50	80/0·20	2·26
	4·00	128/0·20	3·25
20.	3 Core, Circular, Braided and Compounded Workshop Flexible (250-440 V).		
	0·50	16/0·20	1·11
	0·75	24/0·20	1·35
	1·00	32/0·20	1·60
	1·50	48/0·20	2·20
	2·50	80/0·20	3·12
	4·00	128/0·20	4·46
21.	Round, 2 Core, T.R.S. Flexible (650-1100 V).		
	0·50	16/0·20	2·20
	0·75	24/0·20	2·47
	1·00	32/·020	2·62
	1·50	48/0·20	3·20
	2·50	80/0·20	3·88
	4·00	128/0·20	5·30
22.	Round 3 Core, T.R.S. Felxible (650-1100 V).		
	0·50	16/0·20	2·61
	0·75	24/0·20	2·96
	1·00	32/0·20	3·18
	1·50	48/0·20	3·66
	2·50	80/0·20	5·10
	4·00	128 0·20	7·28
23.	Round 4 Core, T.S.R. Flexible (650-1100 V)		
	0·50	16/0·20	3·09
	0·75	24/0·20	3·46
	1·00	32/0·20	3·77
	1·50	48/0·20	4·56
	2·50	80/0·20	6·41
	4·00	128/0·20	9·50

TABLE B

PVC Insulated Cables and Flexible Cords

S. No.	Description	Tariff value in Rupees per metre
1	2	3
	Conductor size in Metric System	
	Nominal area in square millimetres	Wire and Strand No./mm.
	2(a)	2(b)
	ALUMINIUM CONDUCTOR	
1.	Singe Core, PVC insulated (and Left Bare)—250-440 V.	
	1·50	1/1·40 0·17
	2·50	1/1·80 0·21
	4·00	1/2·24 0·30
	6·00	1/2·80 0·36
	10·00	1/3·55 0·60
	16·00	7/1·70 0·89
	25·00	7 2·24 1·38
	35·00	7/2·50 1·66
	50·00	7/3·00 2·21
	50·00	19/1·80 2·30
2	Single Core, PVC insulated (And Left Bare)—650-1100 V.	
	1·50	1/1·40 0·21
	2·50	1/1·80 0·29
	4·00	1/2·24 0·37
	6·00	1/2·80 0·46
	10·00	1/3·55 0·66
	16·00	7/1·70 0·96
	25·00	7/2·24 1·43
	35·00	7/2·50 1·74
	50·00	7/3·00 2·35
	50·00	19/1·80 2·41
	70·00	19/2·24 3·09
	95·00	19/2·50 3·77
	120·00	37/2·06 5·02
	150·00	37/2·24 6·84
	185·00	27/2·50 7·56
	240·00	37/3·00 11·28
	300·00	61/2·50 13·33
	400·00	61/3·00 16·86
	500·00	91/2·65 20·32
	625·00	91/3·00 24·26
3.	Single Core PVC Insulated and Sheathed (650-1100 V).	
	1·50	1/1·40 0·44
	2·50	1/1·80 0·54
	4·00	1/2·24 0·65
	6·00	1/2·80 0·82
	10·00	1/3·55 1·13
	16·00	7/1·70 1·46
	25·00	7/2·24 2·10
	35·00	7/2·50 2·42
	50·00	7/3·00 3·07
	50·00	19/1·80 3·32
	70·00	19/2·24 4·00
	95·00	19/2·50 4·85
	120·00	37/2·06 5·95
	150·00	37/2·24 8·00
	185·00	37/2·50 1·00

1	2(a)	2(b)	3
4.	Single Core PVC Insulated and Sheathed (250-440V).		
	1·50	1/1·40	0·52
	2·50	1/1·80	0·40
	4·00	1/2·24	0·52
	6·00	1/2·80	0·70
	10·00	1/3·55	0·92
	16·00	7/1·70	1·39
	25·00	7/2·24	2·07
	35·00	7/2·50	2·31
	50·00	7/3·00	2·90
	50·00	19/1·80	3·06
5.	Flat Twin Core PVC Insulated and Sheathed (250-440V).		
	1·50	1/1·40	0·60
	2·50	1/1·80	0·81
	4·00	1/2 24	1·03
	6·00	1/·280	1·23
	10·00	1/3·55	1·89
	16·00	7/1·70	2·94
	25 00	7/2·24	4·05
	35·00	7/2 50	5·06
6.	Flat Twin Core PVC Insulated and Sheathed with ECC (250—440 V).		
	1·50	1/1·40	0·71
	7·50	1/1·80	0·91
	4·00	1/2·24	1·21
	6·00	1/2·80	1·53
	10·00	1/3·55	2·28
	16·00	7/1·70	3·39
7.	Flat 3 Core PVC Insulated and Sheathed (250·440V).		
	1·50	1/1·40	0·88
	2·50	1/1·80	1·05
	4·00	1/2·24	1·38
	6·00	1/2·80	1·70
	10·00	1/3·55	2·30
	16·00	7/1·70	3·60
8.	Single Core PVC Weather Proof Hsos (260—440V).		
	1·50	1/1·40	0·21
	2·50	1/1 80	0·27
	4·00	1/2·24	0·38
	6 00	1/2·80	0·46
	10·00	1/3·55	0·70
	16·00	7/1·70	1 04
	25·00	7/2·24	1·61
	35·00	7/2·50	1·84
	50·00	7/3·00	2·35
	50·00	19/1·80	2·_0
9.	Single Core PVC Weather Proof Hsos (650-1100V).		
	1·50	1/1·40	0·26
	2·50	1/1·80	0·32
	4 00	1/2·24	0·49
	6 00	1.2/80	0.62
	10.00	1/3 55	0·83
	16·00	7/1·70	1·23
	25.00	7/2.24	1.73
	35·00	7/2·50	2·06
	50·00	7/3·00	2·62
	50·00	19/1·80	2·78

1	(2a)	2(b)	3.
10.	Flat Twin Core PVC Wheather Proof Hsos (250-400V)		
	1·50	1/1·40	0·38
	2·50	1/1·80	0·65
	4·00	1/2·24	0·70
	6·00	1/2·80	0·88
	10·00	1/3·55	1·36
	16·00	7/1·70	2·05
	25·00	7/2·24	3·03
	35·00	7/2·50	3·77
	50·00	7/3·00	4·79
11	Flat twin Core PVC Whather Proof Hsos (650—1100V).		
	1·50	1/1 40	0·49
	2·50	1/1·80	0·61
	4·00	1/2·24	0·94
	6·00	1/2·80	1·22
	10 00	1/3·55	1·62
	16·00	7/1·70	2·33
	25·00	7/2·24	3·34
	35·00	7/2·50	4·16
	50·00	7/3 00	5·42
12.	Single Core Polythene Insulated PVC Sheathed Cables (250—440V).		
	1·50	1/1·40	0·27
	2·50	1/1·80	0·35
	4·00	1/2·24	0·45
	6·00	1/2·80	0·55
	10 00	1/3·55	0·71
	16·00	7/1·70	1·25
	25·00	7/2·24	1·77
	35·00	7/2·50	2·04
	50·00	7/3·00	2·62
	50·00	19/1·80	2·68
	70·00	19/2·24	3·83
	95·00	19/2·50	4·25
13.	Flat Twin Core Plythene Insulated PVC Sheathed Cables (250—440 V).		
	1·50	1/1·40	0·48
	2·50	1/1·80	0·65
	4·00	1/2·24	0·92
	6·00	1/2·80	1·15
	10·00	1/3·55	1·53
	16·00	7/1·70	2·64
	25·00	7/2·24	4·18
	35·00	7/2·50	4·83
	50·00	7/3·00	6·89
14.	Single Core Polythene Insulated, Taped, Braided and Weather Proof Compounded (250—440 V).		
	1·50	1/1·40	0·25
	2·50	1/1·80	0·31
	4·00	1/2·24	0·42
	6·00	1/2·80	0·51
	10·00	1/3·55	0 73
	16·00	7/1·70	1·05
	25·00	7/2·24	1·62
	35·00	7/2·50	1·93
	50·00	7/3·00	2·47
	50·00	19/1·80	2·42
15.	Twin Core Polythene Insulated, Taped, Braided and Weather Proof Compounded (250—440V).		
	1·50	1/1·40	0·44
	2·50	1/1·80	0·57
	4·00	1/2·24	0·77
	6·00	1/2·80	0·94
	10·00	1/3·55	1·34
	16·00	7/1·70	2·00

1	2(a)	2(b)	3
16	Single Core Polythene Insulated, Taped, Braided and Weather Proof Compounded (650 —1100 V).		
	1·50	1/1 40	0·28
	2·50	1/1·80	0·34
	4·00	1/2·24	0·47
	6·00	1/2·80	0·58
	10·00	1/3·55	0·83
	16·00	7/1·70	1·17
	25·00	7/2·4	1·70
	35·00	7/2·50	2·00
	50·00	7/3·80	2·67
	50·00	19/1·80	3·05
17	Twin Core Polythene Insulted, Taped, Braided and Weather Proof Compounded (650—1100 V).		
	1·50	1/1·40	0 52
	2·50	1/1·80	0 66
	4·00	1/2 24	0 89
	6·00	1/2·80	1·17
	10·00	1/3·55	1 52
	16·00	7/1·70	2·29
	COOPER CONDUCTOR		
18.	Single Core PVC Insulated and Unsheathed Flexible (250—440V).		
	0·50	16/0·20	0·31
	0·75	24/0·20	0·38
	1 00	32/0·20	0 53
	1·50	48/0·20	0·66
	2·50	80/0·20	1·05
	4·00	128/0·20	1·61
19.	Twin Twisted PVC Insulatd and Unsheathed Flexible (250—440V).		
	0·50	16/0·20	0·62
	0·75	24/020	0·75
	1·00	32/0·20	0·93
	1·50	48/0·20	1·51
	2·50	80/020	2·16
	4·00	128/0·02	3·32
20	Round Twin Core PVC Insulated and Sheathed Flexible (250—440 V).		
	0·50	16/0·29	1·32
	0·75	24/·20	1·47
	1·00	32/·020	1·72
	1·50	48/0·20	3·31
	4·00	128/0·20	4·28
21.	Round 3 Core PVC Insulated and Sheathed Flexible (250—440)V).		
	0·50	16/0·20	1·59
	0·75	24·/020	1·89
	1·00	32/0·29	2·35
	1 50	48/0·20	3·21
	2·50	80/0·20	5·15
	4·00	128/0·20	6·16
22.	Round 4 ore PVC Insulated and Sheathed Flexible (250—440 V).		
	0·50	16/0·20	2·08
	0·75	24/0·20	2·40
	1·00	32/·20	2·70
	1·50	48/0·20	3·43
	2·50	80/0·20	5·23
	4·00	128/0·20	8·13

TABLE C

POWER CABLES

S. No.	Description	Tariff Value in Rupees per metre
1	2	3
	ALUMINIUM CONDUCTORS	
1.	Single Core, unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS : 1554—1964 (Part II) and having a conductor of the nominal size : —	
	2·50 square millimetres	1·07
	4·00 " "	1·18
	6·00 " "	1·35
	10·00 " "	1·60
	16·00 " "	2·10
	25·00 " "	3·01
	35·00 " "	3 41
	50.00 " "	4·44
	70·00 " "	5 94
	95·00 " "	7·37
	120·00 " "	8·96
	150·00 " "	10·58
	185·00 " "	12·71
	225·00 " "	14·94
	240·00 " "	16·11
	300·00 " "	10·62
	400·00 " "	26·60
	500·00 " "	30·60
	625·00 " "	38·48
2.	Two Core, armoured, insulated PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size :—	
	2·50 square milimetres	4·02
	4·00 " "	4·67
	6·00 " "	5·30
	10·00 " "	6·33
	16·00 " "	7·60
	25·00 " "	9·7
	35·00 " "	11·08
	50·00 " "	12·76
3.	Two core, unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS:1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a Conductor of the nominal size .—	
	1·50 square millimetres	1·92
	2·50 " "	2·05
	4·00 " "	2·47
	6·00 " "	2·95
	10·00 " "	3·62
	16·00 " "	5·30
	25·00 " "	7·88
	35·00 " "	8·78
	50·00 " "	10·00
4.	Three Core, armoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size :—	
	2·50 square millimetres	4·48
	4·00 " "	5·20
	6·00 " "	5·91
	10·00 square millimetres	7·31
	16·00 " "	9·10
	25·00 " "	11·34
	35·00 " "	13·42
	50·00 " "	15·75
	70·00 " "	19·88
	95·00 " "	24·61
	120·00 " "	29·60
	150·00 " "	37·20
	185·00 " "	42·12
	225·00 " "	54·66
	240·00 " "	62·12
	300·00 " "	69·73
	400·00 " "	93·74
5.	Three core, unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size :	
	1·50 square millimetres	2·25
	2·50 " "	2·49
	4·00 " "	2·93
	6·00 " "	3·41
	10·00 " "	4·25
	16·00 " "	6·76
	25·00 " "	9·30
	35·00 " "	10·94
	50·00 " "	13·07
	70·00 " "	16·74
	95·00 " "	20·87
	120·00 " "	25·11
	150·00 " "	29·87
	185·00 " "	36·66
	225·00 " "	48·58
	240·00 " "	53·60
	300·00 " "	60·53
	400·00 " "	83·8
6.	Four core, armoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS : 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size :—	
	2·50 square millimetres	4·83
	4·00 " "	5·88
	6·00 " "	6·92
	10·00 " "	8·35
	16·00 " "	10·90
	25·00 " "	14·28
	35·00 " "	17·44
	50·00 " "	21·30
7	Four core, unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554 1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size :—	
	1·50 square millietres	2·53
	2·50 " "	2·83
	4·00 " "	3·39
	6·00 " "	3·99
	10·00 " "	5 22
	16·00 " "	8·48
	25·00 " "	11·48
	35·00 " "	13·53
	50·00 " "	17·03
	70·00 " "	23·17
	95·00 " "	28·30
	120·00 " "	34·90
	150·00 " "	40·43
	185·00 " "	49·00
	225·00 " "	66·10

1	2	3
8	3½ Core, armoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) and having a conductor of the nominal size:—	
	25 00 Square millimetres	13 33
	35.00 " "	15 46
	50 00 " "	19·30
	70. 00 " "	23·93
	95. 00 " "	29. 25
	120 00 " "	34 90
	150·00 " "	41·54
	185·00 " "	49. 20
	225·00 " "	65·74
	240. 00 " "	71·45
	300. 00 " "	80. 36
	400·00 " "	114·18
9	3½ Core, unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1965 (Part I) and having a conductor of the nominal size :—	
	25 00 square millimetres	9·73
	35·00 " "	11 85
	50·00 " "	15·77
	70·00 " "	20·71
	95·00 " "	24·80
	120 00 " "	29·32
	150·00 " "	34·90
	185·00 " "	46·55
	225·00 " "	54·66
	240 00 " "	62 66
	300·00 " "	70 95
	400·00 " "	94·57
	Copper Conductor	
10	Unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554 1961 (Part-I) or IS 1554—1964 (Part I) with a conductor of the nominal size 1·5 square millimetres and having :—	
	2 Crores	2 79
	3 "	3 41
	4 "	4,20
	5 "	4·92
	6 "	5·83
	7 "	6·42
	10 "	8 70
	12 "	10·10
	14 "	11·44
	16 "	13 05
	19 "	14·95
	24 "	19·78
	27 "	22·25
	30 "	24·17
	37 "	29·10
	44 "	31·74
	52 "	37·29
	61 "	43·63
11	Armoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) IS: 1554—1964 (Part I) with a conductor of the nominal size 1·5 square millimetres and having :—	
	2 Crores	5·20
	3 "	5·88
	4 "	6·78
	5 "	7·64
	6 "	8·55
	7 "	9·15
	10 "	12·29
	12 "	13·
	14 "	15
	16 "	16·
	19 "	18
	24 "	23
	27 "	26·
	36 "	28·
	37 "	34
	44 "	38·
	52 "	43·
	61 "	50·
12	Unarmoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) with a conductor of the nominal size 2·5 square millimetres and having :—	
	2 Crores	3·5
	3 "	4 4
	4 "	5 4
	5 "	6·6
	6 "	7·7
	7 "	8 5
	10 "	12 0
	12 "	14·
	14 "	16 3
	16 "	18 7
	19 "	21 6
	24 "	27 61
	27 "	30 45
	30 "	33 77
	37 "	41·7
	44 "	47 6
	52 "	54 1
	61 "	62·4
13	Armoured, insulated with PVC (650—1100 V) conforming to IS: 1554—1961 (Part I) or IS: 1554—1964 (Part I) with a conductor of the nominal size 2·5 square millimetres and having :—	
	2 Crores	5
	3 "	6·
	4 "	8·
	5 "	9·
	6 "	11·
	7 "	11·
	10 "	15
	12 "	17·
	14 "	20·
	16 "	22
	19 "	25
	24 "	32
	27 "	34
	30 "	38
	37 "	46
	44 "	53
	52 "	61
	61 "	69

TABLE D

PVC Insulated Automobiles Cables

No.	Description		Tariff Value in Rupees per Metre
1	2		3
	Conductor size	Capacity in amperes	
	2(a)	2(b)	
1	PVC Insulated Plain Auto cables		
	7/·012″ (2 mm)	3·5	0·26
	9/·012″ (3 mm)	4·0	0·31
	14/·012″ (4 mm)	7·0	0·42
	28/·012″ (5 mm)	12·0	0·75
	35/·012″ (6 mm)	17·0	0·95
	44/·012″ (7 mm)	19·0	1·22
	65/·012″ (8 mm)	25·0	1·71
	120/·012″ (9 mm	30·0	3·22
	14/·012″ (9 mm) (4 core stering column cable)	7·0	2·21
	16/·012″ (H.T.)	9·0	0·93
2	PVC Insulated Braided and Lacquered		
	9/·012″ (3 mm)	4·0	0·37
	14/·012″ (4 mm)	7·0	0·49
	28/·012″ (5 mm)	12·0	0·82
	35/·012″ (6 mm)	17·0	1·05
	44/·012″ (7 mm)	19·0	1·28
	65/·012″ (8 mm)	25·0	1·74
	120/·012″ (9 mm)	30·0	3·31

TABLE E

Insulated Copper Winding Wires

S.No.	Description	Tariff Value in Rupees per Kilogram.
1	2	3
1	COTTON COVERED OR PAPER COVERED OR BOTH COTTON AND PAPER COVERED BUT NOT ENAMELLED—	
	(i) Not exceeding 23 SWG .	22·00
	(ii) Exceeding 23 SWG .	40·00
2	COVERED WITH SYNTHETIC BASE ENAMEL—	
	(i) Not exceeding 20 SWG .	23·55
	(ii) Exceeding 20 SWG but not exceeding 31 SWG .	26·70
	(iii) Exceeding 31 SWG but not exceeding 36 SWG .	31·10
	(iv) Exceeding 36 SWG but not exceeding 38 SWG .	35·30
	(v) Exceeding 38 SWG but not exceeding 39 SWG .	42·05
	(vi) Exceeding 39 SWG but not exceeding 42 SWG .	46·30
	(vii) Exceeding 42 SWG but not exceeding 44 SWG .	54·35

TABLE F

Insulated Aluminium Winding Wires

S.No.	Description	Tariff Value in Rupees per Kilogram
1	2	3
1	COTTON COVERED OR PAPER COVERED OR BOTH COTTON AND PAPER COVERED IRRESPECTIVE OF THE NUMBER OF SUCH COVERS, BUT NOT ENAMELLED:—	
	(i) Not exceeding 21 SWG .	31·00
	(ii) Exceeding 21 SWG .	48·50
2	COVERED WITH SYNTHETIC BASE ENAMEL:—	
	(i) Not exceeding 21 SWG .	28·00
	(ii) Exceeding 21 SWC .	31·75

[No. 114/72]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972